लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शनिवार,

खंड ७, १९५५ १० सितम्बर, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक सभा

शनिवार, १० सितम्बर, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से ये दो संदेश प्राप्त हुए हैं :

(१) मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने ८ सितम्बर १९५५, दिनांक वीरवार को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव को पारित किया है जो लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करता है कि राज्य सभा भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण तथा समाप्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो । उक्त संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं ।

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से कि राज्य सभा भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण तथा समाप्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है, और संकल्प करती है कि राज्य सभा के (निम्न) सदस्य उक्त समिति के लिये नामनिर्देशित किये जायें :

१. श्री के० माधव मेनन
२. श्री जसपत राय कपूर
३. श्री अकबर अली खां
४. श्री श्रीनारायण माहता
५. श्री बी० पी० अग्रवाल
६. दीवान चमन लाल
७. डा० आर० पी० दूबे
८. श्री पी० टी० ल्यूवा
९. श्री त्रिलोचन दत्त
१०. डा० एच० एन० कुंजरू
११. श्री बी० सी० घोष
१२. श्री जे० वी० के० वल्लभराव
१३. श्री एम० पी० एन० सिन्हा
१४. श्री अमोलख चन्द
१५. श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त"

(२) मुझे लोक-सभा को सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने ९ सितम्बर १९५५ को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव पारित किया है जो हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५४ पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

[सचिव]

के उपस्थापन की अवधि का विस्तार करता है :

प्रस्ताव

"कि हिन्दुओं में इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार संबंधी विधि में संशोधन करने और उसे संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये निर्धारित अवधि को १९ सितम्बर, १९५५, दिनांक सोमवार तक बढ़ा दिया जाय।"

समवाय विधेयक—जारी

अनुसूची १ से १२ और खंड १

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुसूची १ से १२ और खंड १ पर और आगे चर्चा करेगी, जिस पर आधा घंटा कल लिया जा चुका है और ३ ½ घंटे बाकी हैं।

इस वर्ग के संशोधनों की सूची सदस्यों को भेजी जा चुकी है। माननीय सदस्यों ने अन्यथा ग्राह्य होने पर निम्नलिखित संशोधनों को प्रस्तुत करने का संकेत दिया है :

	संशोधनों की संख्या
अनुसूची १ . .	१०७८ (सरकारी), १०७९ (सरकारी), ११००, ११७५, ११७६, ११५२, ११५३, ११७७, ११७८, ११७९, ११८०, ११८१, १०८० (सरकारी), ११८२, १०८१ (सरकारी), ११८३ ।
अनुसूची २ .	११८४, ११८५, ११८६, ११८७
अनुसूची ३ . .	१०८२ (सरकारी), १०८३ (सरकारी), १०८४ (सरकारी), १०८५ (सरकारी), १०८६ (सरकारी), १०८७ (सरकारी), १०८८ (सरकारी) ।
अनुसूची ४ . .	१०८८ (सरकारी), १०९० (सरकारी), १०९१ (सरकारी), १०९२ (सरकारी), १०९३ (सरकारी), १०९४ (सरकारी), १०९५ (सरकारी) ।
अनुसूची ६ . .	११८८, ११८९, ११५४, १२०३ (११५४ जैसा ही) ।
अनुसूची ९ . .	१०९६ (सरकारी), १०९७ (सरकारी), १०९८ (सरकारी) ।
अनुसूची १२ . .	१०९९ (सरकारी) ।
अनसूची १३ (नई) .	४४०
खंड १ . .	६२, ३२०

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित अनुसूचियों पर निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये ।

नाम	अनुसूची	संशोधन
श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)	१	१२००
श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर)	१	११७५, ११७६, ११७७, ११७८, ११७९, ११८० ११८१, ११८२, ११८३
श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग)	१	११५२, ११५३
श्री के० के० बसु	२	११८४, ११८५, ११८६, ११८७
श्री के० के० बसु	६	११८८, ११८९, १२०३
श्री के० पी० त्रिपाठी	६	११५४
श्री कामत (होशंगाबाद)	१३ (नई)	४४०
श्री राने (भुसावल)	खंड १	६२
श्री के० के० बसु	खंड १	३२०

अनुसूची १

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २९५, पंक्ति ३—

"१३" का लोप किया जाये ।

(२) पृष्ठ ३०३ और ३०४—

क्रमशः पंक्ति ३८ से ४३ और १ से ३ का लोप किया जाये ।

(३) पृष्ठ ३१२, पंक्ति ११—

" addresses " [पतों] के बाद "descriptions" [विवरणों] रखा जाये ।

(४) पृष्ठ ३१३, पृष्ठ ४—

"addresses [पतों] के बाद " descriptions" [विवरणों] रखा जाये ।

अनुसूची ३

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३३३, पंक्ति १६ और १७—

"three years" [तीन वर्ष] के स्थान पर "five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ ३३३, पंक्ति २१—

" three years " [तीन वर्ष] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

(३) पृष्ठ ३३३, पंक्ति २३—

"in respect of" [के बारे में] के बाद "four years, three years" [चार वर्ष, तीनवर्ष] रखा जाये ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

(४) पृष्ठ ३३३, पंक्ति २५--

"references to" [के निर्देश] के बाद "four yeats, three years" [चार वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

(५) पृष्ठ ३३३, पंक्ति २८--

" three years " [तीन वर्ष] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

(६) पृष्ठ ३३३, पंक्ति ३५--

" references to " [के निर्देश] के बाद "five years, four years" [पांच वर्ष, चार वर्ष] रखा जाये ।

(७) पृष्ठ ३३३, पंक्ति ४०--

" less than " [से कम] के बाद "five years, four years" [पांच वर्ष, चार वर्ष] रखा जाये ।

अनुसूची ४

श्री सी० डी० दशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३३९, पंक्ति ४३—

" three years " [तीन वर्ष], के स्थान पर, " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ ३३९, पंक्ति ४६--

" three years " [तीन वर्ष] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

(३) पृष्ठ ३३९, पंक्ति ४८--

" in respect of " [के बारे में] के बाद "four years, three years" [चार वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

(४) पृष्ठ ३३९, पंक्ति ५१—

"to" [तक] के बाद "four years, three years" [चार वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

(५) पृष्ठ ३४०, पंक्ति २,--

"three years" [तीन वर्ष] के स्थान पर "five years" [पांच वर्ष] रखा जाये ।

(६) पृष्ठ ३४०, पंक्ति ९--

"to" [तक] के बाद " five years, four years " [पांच वर्षा, चार वर्ष] रखा जाये ।

(७) पृष्ठ ३४०, पंक्ति १३--

" not less than " [से अन्यून] के बाद " five years, three years" [पांच वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

अनुसूची १०

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३७०—

पंक्ति ४ के बाद "general form" [सामान्य प्रपत्र] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ ३७०—

पंक्ति १९ के बाद रखा जाये :

"Form for affording members an opportunity of voting for or against a resolution"

["सदस्यों को एक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मत देने का एक अवसर प्रतदान करने के लिये प्रपत्र"]

(३) पृष्ठ ३७०--

पंक्ति ३६ से ३९ का लोप किया जाये ।

अनुसूची १२

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३७६, पंक्ति ४ से १४–

"extent of repeal" [निरसन की सीमा] शीर्षक वाले स्तम्भ ४ और उस की सभी प्रविष्टियों का लोप किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन चर्चा के लिये सभा के सामने हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कल मैं अपने संशोधन संख्या ११५३ के बारे में कह रहा था । खण्ड में "आकस्मिकताओं की पूर्ति या लाभांशों को एक समान करने के लिये" शब्दों के स्थान पर मैं ने "श्रमिकों को बेकार बिठाने तथा छंटनी के लिये प्रतिकर आदि आकस्मिकताओं को पूर्ति अथवा लाभांश, मजूरी और बोनस को एक समान करने के लिये" शब्दों को रखने का संशोधन प्रस्तुत किया है । वित्त मंत्री सार्वजनिक समवायों का विचार करते समय केवल अंशधारियों और प्रबन्ध को ही ध्यान में रखते हैं और यह भूल जाते हैं कि समाजवादी ढांचे में मजदूर या कर्मकर विभिन्न उद्योगों में अंशधारी बन गये हैं । आजकल लाभ में से केवल लाभांश ही नहीं दिया जाता, बल्कि उस में से बोनस देने का भी विधान किया गया है । इसलिये लाभों के वितरण की प्रणाली में बोनस देने के लिये भी इस विधेयक में किसी स्थान पर उपबन्ध किया जाना चाहिये ।

लाभों में से अनेक प्रकार के आभारों को पूरा करने के लिये सेवानिवृत्ति रक्षित निधि, करारोपण रक्षित निधि आदि अनेक रक्षित निधियां स्थापित की गई हैं । परन्तु इस संसद् द्वारा जो निधियां पारित की गई हैं, उन के परिणामस्वरूप उद्योगों के कई और आभार स्वीकार किये हैं, जिन के लिये रक्षित निधियां अवश्य स्थापित की जानी चाहियें । मजदूरों को बेकार बिठाने तथा उन की छंटनी के लिये प्रतिकर देने और उनकी न्यूनतम मजरी के रक्षण के लिये कोई रक्षित निधि नहीं बनाई गई है । इस कारण मजदूरों को काम से हटा दिया जाता है या उन्हें कम मजूरी दी जाती है । प्रसूति सहायता, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि आदि के दायित्व उद्योगों पर लगा दिये गये हैं । परन्तु संसद् ने इन विधियों को लागू करने की दृष्टि से इन के लिये विशेष रक्षित निधियों का कोई उपबन्ध नहीं किया है । जब तक रक्षित निधियां स्थापित नहीं होतीं, इन विधियों का पालन होना संभव नहीं है । इसलिये मैं विधेयक में बोनस और मजूरी के समानीकरण का उपबन्ध करना चाहता हूं जिस के लिये रक्षित निधि स्थापित की जानी चाहिये ।

इस विधेयक में उपबन्ध करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि इस प्रकार उद्योगपति इस रक्षित निधि को बनाने को तैयार नहीं होंगे । इस के लिये तो अनिवार्य विधान बनाना होगा कि लाभांश समानीकरण रक्षित निधि के साथ साथ अनिवार्यतः यह रक्षित निधि भी स्थापित की जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को इसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि यह उद्योगपतियों के लिये केवल संकेत मात्र है ।

मेरा तीसरा संशोधन है कि पृष्ठ ३६४ पर १३ से २१ तक की पंक्तियां हटा दी जायें, जो सरकार को यह कहने की शक्ति देती है कि उद्योगों के लिये टूट फूट और आस्तियों के मूल्यों के नवीकरण या कमी संबंधी उपबन्धों के लिये पृथक रक्षित राशि के अतिरिक्त अन्य सांख्यकी तथा सूचना बताना अनिवार्य नहीं होगा । मेरा यह मत है कि समवाय के मामले व्यक्तिगत न हो कर सार्वजनिक होते हैं और

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

उस के विषय में सब जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये ताकि यह पता चल सके कि समवाय ठीक तरह चल रहा है या नहीं । यह लाभ में चलता है या हानि में । समवाय सम्बन्धी समस्त जानकारी न देने की अनुमति देने वाला यह उपबन्ध देश के हितों के लिये लाभकारी नहीं है । सरकार अनेक योजनायें बना कर उन्हें कार्यान्वित करने जा रही है । परन्तु जब किसी समवाय के तथ्य तथा आंकड़े ही मालूम नहीं होंगे यह कैसे पता चलेगा कि योजना ठीक बनाई गई है या नहीं, यह ठीक रूप में कार्यान्वित की जा रही है या नहीं । मैं समझता हूं सरकार को सब समवायों को एक ही धरातल पर रखना चाहिये और देश के सभी समवायों को यहां की विधि के अनुसार कतिपय तथ्य बताने को बाध्य होना पड़े ।

केन्द्रीय सरकार यह कह सकती है कि लोकहित की दृष्टि से तथ्य बताना लाभदायक नहीं है अथवा इस से समवाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । परन्तु मैं कहूंगा कि इन दो अवस्थाओं में भी तथ्य बताये जाने चाहियें । तथ्य प्रकट करने से लोकहित या समवायों को कोई हानि नहीं हो सकती । यदि तथ्य और आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तो कार्यकर अपने अधिकारों, बोनस और मजूरी के लिये कैसे बातचीत कर सकेंगे ? विदेशों में समवायों के सभी तथ्य और आंकड़े सर्वविदित होते हैं, और वहां कर्मकर तथा प्रबन्ध समान धरातल पर होते हैं । परन्तु हमारे देश में कर्मकरों के पास समस्त जानकारी न होने के कारण बात चीत असफल रहती है । मजदूरों में लड़ने की शक्ति कम होने के कारण हड़ताल असफल रहती है । इसलिये सरकार बातचीत की नीति की घोषणा करती है । इस दृष्टि से बात चीत को सफल बनाने के लिये मजदूरों के संघों को सब जानकारी और आंकड़े प्राप्त होने चाहियें ताकि समान ज्ञान के आधार दोनों पक्षों में बात चीत हो सके । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात पर विचार करे कि सरकार को यह शक्ति अपने पास नहीं लेनी चाहिये जो उसे कुछ समवायों को जानकारी न देने की अनुमति देने का अधिकार देती है । मैं ने दूसरे परन्तुक के बारे में भी इसी प्रकार की प्रार्थना की थी, परन्तु सरकार ने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया ।

श्री के० के० बसु : हम ने अपने संशोधन संख्या ११७५ द्वारा पृष्ठ ३०४ पर अनुसूची संख्या १ में एक खंड जोड़ दिया है । हम ने पहले भी कई अवसरों पर अनेक संशोधनों द्वारा राजनैतिक संगठनों अथवा दलों से संबद्ध संगठनों को दिये गये धर्मादायों को अनर्हित करने का प्रयत्न किया है और हम ने कहा था कि संविधि के अधीन उन्हें अवैध बनाया जाना चाहिये । दुर्भाग्यवश, वह स्वीकार नहीं किया गया और वित्त मंत्री ने उत्तर में कहा कि इन धर्मादायों की एक सूची साधारण बैठक में दी जाती है और अंशधारियों को इस बात की जानकारी होती है कि क्या किया जाता है । मैं अपने संशोधन में केवल इस संविहित दायित्व की व्यवस्था करना चाहता हूं कि वह कार्य-सूची का एक भाग हो । यदि ऐसा हो, तो साधारण सभा किसी विशिष्ट संस्था के बारे में, जिसे कि अंशदान दिया गया है, अपना मत प्रकट कर सकती है ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इन व्यापारियों ने हमें कहा है कि किसी मंत्री अथवा राजनैतिक क्षेत्र के बहुत बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रार्थना पर उन्हें निधियां देनी पड़ीं । यह स्वाभाविक है कि ये व्यापारी अप्रत्यक्ष दबाव के विरुद्ध नहीं जा सकते । हमारी धारणा है कि अभी ऐसा समय नहीं आया है कि सरकार व्यापार-जगत पर अपनी निधियों में अंशदान

देने के लिये अप्रत्यक्ष दबाव न डालें। किन्तु यदि ये निधियां गांधी जी या कस्तूरबा जैसे व्यक्तियों की चिर-स्मृति में चालू की गई हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आज व्यापार-जगत अन्य उद्देश्यों के लिये निधियों में भी अंशदान दे रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि यदि अंशधारी स्वतः यह निर्णय करें कि किसी बड़े व्यक्ति या मंत्री के स्वागत के लिये या उन से सम्बद्ध विशेष निधि में अंशदान दिया जाये, किन्तु वर्तमान संविधि के अधीन निधियों का अंशदान करने के लिये बोर्ड को शक्ति दी गयी है। उस बारे में भी हम ने संशोधन स्वीकार कर लिया है और २५,००० रुपये तक धनराशि बढ़ाई है। अतः मेरा यह आग्रह है कि एक ऐसा निश्चित संविहित उपबन्ध बनाया जाना चाहिये जिस से कि सभी मामलों में ये अंशदान अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा की कार्य सूची का एक विषय बनें ताकि अंशधारियों को इस सम्बन्ध में, कि ऐसे अंशदान दे कर संचालक बोर्ड ने न्यायोचित कार्य किया है अथवा नहीं, अपनी राय जाहिर करने का पूरा पूरा अवसर मिले। मेरे संशोधन संख्या ११७५ का यही आशय था।

अब मेरा अगला संशोधन (संख्या ११७६ इस प्रकार है कि पृष्ठ ३०८ पंक्ति २१ और २२ में "the amount recommended by the board" ["वह धनराशि जिस की बोर्ड द्वारा सिफारिश हुई हो"] के स्थान पर "eight per cent unless sanctioned by the Central Government" ["८ प्रतिशत जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी न दी गई हो"] शब्द रखे जायें। यह ठीक है कि हमारे यहां काफी शक्तिशाली गैर-सरकारी क्षेत्र भी हैं, किन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिये कि संसद् और राष्ट्र ने आयोजन के उद्देश्यात्मक सिद्धान्त स्वीकार कर लिये हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों के साधनों का उचित रूप से उपयोग करने और एक विशिष्ट प्रकार से उन के वितरित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इसी कारण मैं ने अपने संशोधन में यह उपबन्ध रखा है कि साधारणतया लाभांश ८ प्रतिशत तक सीमित होना चाहिये। यदि केन्द्रीय सरकार उचित समझे और उस के लिये आवश्यक अनुमोदन करे तो वह बढ़ाया भी जा सकता है। इस का कारण यह है कि हमारी धारणा के अनुसार, साधारणतया किसी विशिष्ट विनियोजन पर ८ प्रतिशत पर्याप्त लाभ है। ऋणों के मामले में हम ने देश की सामान्य विधि के अधीन ६ प्रतिशत की व्यवस्था की है और व्यावहारिक प्रक्रिया संहिता में भी केवल ६ प्रतिशत ब्याज की दर रखी है। यहां हम ने २ प्रतिशत अधिक रखा है। हमारे विचार से यह पर्याप्त होगा। हम जानते हैं कि ऐसे भी चाय बागान हैं जिन्हों ने १०० प्रतिशत या उस से अधिक लाभांश दिये हैं किन्तु संकट के समय वे सरकार से ऋण मांगते हैं; अन्यथा अपनी संस्थाएं बन्द करने या अपने कर्मचारियों को थोड़ी बहुत दी जाने वाली सुविधाओं को बन्द करने की बात करते हैं। अतः मैं ने अपने संशोधन द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है कि वे बहुत ऊंचे लाभांश दे कर अपने साधनों का दुरुपयोग न करें और इस के लिये सरकार को यह देखने की शक्ति दी गई है कि कोई भी कंपनी अधिकतम ८ प्रतिशत से अधिक लाभांश न दे। किन्तु इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि विशिष्ट प्रकार की कंपनियों ने देश के नये औद्योगिक उपक्रमों में विशेष जोखिम उठाया है, सरकार ऊंची दर पर लाभांश के भुगतान के लिये अनुज्ञा दे सकती है। साधारण मामलों में हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्रों के साधनों का राष्ट्र के औद्योगिक प्रसार कार्यक्रम में उचित रूप से उपयोग हो और इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि आयोजित अर्थ व्यवस्था में गैर-सरकारी

[श्री के० के० बसु]

क्षेत्र भी योजना के ढांचे और स्वीकृत सिद्धान्तों की सीमा के भीतर ही कार्य करें।

मेरा तीसरा संशोधन संख्या ११८१ है जिस के अनुसार मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी के उद्देश्य, जिन के लिये वह कम्पनी स्थापित की जायेगी, छः से अधिक न हों और वे छः उद्देश्य भी संबद्ध होने चाहियें। अभी किसी दिन ज्ञापन और संथा के अन्तर्नियम संबंधी अध्यायों पर चर्चा के दौरान में यह स्पष्ट किया गया था कि भाभा समिति अन्तर्पाशन (गठबन्धन) के खतरे से, जो आजकल देश के आर्थिक जीवन में विद्यमान है, पूर्णतः अवगत है। किन्तु मेरे माननीय मित्र श्री जी० डी० सोमानी ने कहा कि यदि किसी व्यापारी के पास धन हो तो उसे अपनी इच्छानुसार उपक्रमों में वह धन नियोजित करने की अनुमति मिलनी चाहिये। यहां मैं उन से सहमत हूं। यह ठीक है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ स्वतन्त्रता से कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिये किन्तु वह किसी ढांचे के भीतर ही होनी चाहिये। गत दस बारह वर्षों के अनुभव से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यापारी जगत ने ऐसे उपक्रमों में धन लगाया है जो देश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से आवश्यक नहीं थे। अतः हमें उन्हें यह अनुमति नहीं देनी चाहिये कि वे अपने ज्ञापन में आदि से अन्त तक के उद्देश्य दिखा कर, जो एक दूसरे से सम्बद्ध न हों, मनमाने तौर पर अपना धन विनियोजित करें। हमें यह देखना होगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र हमारी योजनायें निर्धारित ढांचे और योजना के सामाजिक उद्देश्यों के अन्तर्गत ही कार्य करें। सरकार का भी यही कर्तव्य है कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि हमारे पास उपलब्ध साधनों का उन्हीं उद्देश्यों के लिये अधिकतम उपयोग हो जो भारत के सर्व-साधारण नागरिकों के हित में हैं। अतः हमने यह सुझाव दिया है कि लाभांश और समवाय के उद्देश्यों का परिसीमन हो। यह इसी सिद्धान्त पर आधारित है कि गैर-सरकारी क्षेत्र हमारी योजना के सामाजिक उद्देश्यों के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करें और उस के विस्तार के तरीके पर एक प्रकार का परि-सीमन हो।

मेरे संशोधन संख्या ११७८ में रक्षित धन के पूंजीकरण के बारे में विवेचन है। इस सम्बन्ध में मैं श्री के० पी० त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं : इस प्रश्न पर अधिलाभांश (बोनस शेअर्स) संबंधी खंड पर विवेचन के समय यह बताया गया था कि यदि किसी कम्पनी के पास रक्षित धन हो और वह अधिलाभांश जारी करना चाहती है तो उन का उपयोग केवल अवरुद्ध पूंजी की वृद्धि के खिलाफ ही होना चाहिये। अनेक कम्पनियों ने गत युद्ध और युद्धोत्तर काल में बहुत अधिक मुनाफा कमाया जिस में से कुछ धन उन्हों ने बांट दिया और शेष रक्षित धन के रूप में रख लिया जो कर से बच गया था। हमारी सरकार इन मुनाफों पर करों से वंचित रही और बाद में इस रक्षित धन का पूंजीकरण किया गया। इसी अवधि में हम सारी प्रस्थापना का अधिपुंजीयन और बहुत अधिक लाभांश का भुगतान हुआ देखते हैं किन्तु वास्तव में इस रक्षित धन का उपयोग किसी विशिष्ट संस्था की पूंजी आस्तियां बढ़ाने में नहीं हुआ है। अतः मेरा एक संशोधन इस बात के सम्बन्ध में था कि कोई कम्पनी रक्षित धन अथवा उस के किसी भाग का अवरुद्ध पूंजी में जोड़ने के अतिरिक्त और कोई पूंजीकरण नहीं करेगी। मैं ने एक दूसरे संशोधन में यह भी कहा है कि रक्षित धन का पूंजीकरण तब तक न होगा जब तक कि कर्मचारियों को रक्षित धन में से तीन महीने के वेतन के बराबर लाभांश प्रतिवर्ष न दे दिया जाय, और इस की

अवधि रक्षित धन के एकत्र होने की अवधि मानी जायेगी । इस का कारण यह है कि रक्षित धन कर्मचारियों के अंशदान का परिणाम है । अतः कम्पनी पर यह संविहित दायित्व लागू करना चाहिये कि जब कभी वह लाभांश जारी करे या रक्षित धन का पूंजीकरण करे, वह कर्मचारियों को अधिलाभांश के रूप में अथवा नकद लाभांश के रूप में भुगतान करे । इस प्रकार रक्षित धन के पूंजीकरण में कर्मचारियों को भाग अवश्य मिलना चाहिये और अवरुद्ध पूंजी की वृद्धि के होते हुए ही रक्षित धन का पूंजीकरण होना चाहिये ।

इस के बाद समवायों की शाखाओं की लेखापरीक्षा के बारे में एक संशोधन है । इस सम्बन्ध में समवाय विधि के अधीन लेखा परीक्षा का विवेचन करने वाले खंड के लिये भी इसी प्रकार का एक संशोधन हमने रखा था । उस में मंत्री महोदय ने बताया कि लेखापरीक्षकों की कमी है और इसलिये कम्पनी की शाखाओं की लेखापरीक्षा के लिये वे अनुविहित उपबन्ध नहीं बना सकते । मैं नहीं जानता कि उन्हें कहां से आंकड़े मिले जिस से वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेखापरीक्षकों का अभाव है । जहां तक मुझे मालूम है, हमारे प्रान्त में अनेक अच्छे और युवक लेखापरीक्षक हैं जिन की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । मेरा कथन यह है कि शाखा की लेखा परीक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है । कम्पनियों का मुख्य कार्य शाखाओं में होता है । वर्तमान पद्धति में यह होता है कि जहां तक शाखाओं का संबंध है, शाखा के प्रबन्धक या शाखा से सम्बद्ध किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से लेखाओं के बारे में प्रमाणपत्र ले लिया जाता है । प्रधान कार्यालय उस से सन्तुष्ट हो जाता है जब तक वह प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो जो धन खर्च करने का अधिकारी हो । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां चाय बगानों के प्रबन्धकों या कोयला खानों के इंजीनियरों ने जाली प्रमाणपत्र दिये हैं । जहां तक शाखाओं के लेखाओं का संबंध है, प्रधान कार्यालय को केवल सारांश भेज दिया जाता है । लेखापरीक्षक स्वतः वहां जा कर कोई जांच नहीं करते । अतः सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इन बातों पर गंभीरता से ध्यान दे । इसीलिये मैं ने कहा है कि संथा के अंतर्नियमों में शाखा की लेखा परीक्षा के बारे में अनिवार्य उपबन्ध होना चाहिये । लेखाओं में शाखाओं की विस्तृत स्थिति का विवरण होना चाहिये । और वह अंशधारियों की साधारण बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले लेखाओं का एक अंग होना चाहिये । सरकार इन बातों पर पूरी तौर से ध्यान दे ।

मैं ने एक दूसरा संशोधन चन्दा बन्द करने की तारीख के बारे में दिया है । समवाय पर यह भी संविहित दायित्व होना चाहिये कि जारी की गई विवरण-पत्रिकाओं में चन्दा शुरू करने की तारीख और बन्द करने की तारीख दोनों का ही स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

अभी तक केवल यह उपबन्ध है कि चन्दा शुरू करने की तारीख दी जाय और बन्द करने की तारीख के बारे में कोई भी उपबन्ध नहीं ।

भा ा समिति के सामने दिये गये साक्ष्य में बाम्बे शेयर-होल्डर्स असोसियेशन और कुछ अन्य लोगों ने बताया था कि अंशों के आवंटन से सम्बद्ध कुछ लोग अनुचित व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि चन्दा बन्द करने की तारीख निश्चित नहीं । कम्पनी के संगठन और उस की वृद्धि से सम्बद्ध व्यक्ति उन्ही लोगों को अंश देते हैं जिन से उन्हें दिलचस्पी होती है । पहले वे उन से अंशदान दिलाने का प्रयत्न करते हैं और तब उन्हें अंश आवंटित करते हैं । वे उन्हीं व्यक्तियों को अंश आवंटित करते हैं जिन से उन का लाभ होता है ।

[श्री के० के० बसु]

इसलिये ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि विवरण-पत्रिका में चन्दा शुरू करने और बन्द करने की तारीख दोनों का ही उल्लेख किया जाये। अतः मैं ने प्रथम अनुसूची में यह संशोधन रखा है कि बंद करने की तारीख भी दी जानी चाहिये।

इस के बाद अनुसूची २ में विनिमय ११ के बारे में मेरा एक और संशोधन है जो अंशों के दायित्व-ग्रहण के संबंध में है। बम्बई शेयरहोल्डर्स असोसियेशन ने सुझाव दिया था कि दायित्व-ग्रहीता इस बात की प्रत्याभूति दें कि वे अंशों का कुछ प्रतिशत स्वतः देंगे या दिलायेंगे और ऐसा न होने की स्थिति में दंड के उपबन्ध का एक खंड होना चाहिये। अतः इसी आशय का एक संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है। वह विवरण-पत्रिका का एक अंग होना चाहिये। मिलिन आयोग, जिस ने दक्षिण अफ्रीका में दायित्वग्रहण के प्रश्न का परीक्षण किया ने इसी से मिलती जुलती एक सिफारिश की है।

हम ऐसे मामलों को जानते हैं जिन में समवायों को, ऐसे दायित्व ग्रहीताओं को रखने से जो अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं, हानि उठानी पड़ी है और अन्त में अंशधारियों अथवा वास्तविक पूंजी लगाने वालों को हानि उठानी पड़ी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि विवरण-पत्रिका में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि दायित्व ग्रहीता उपयुक्त व्यक्ति हैं और अपने दायित्वों की पूर्ति करने की उन में क्षमता है।

मेरा अन्तिम संशोधन भी बहुत कुछ उन्हीं बातों पर आधारित है जिन पर कि श्री त्रिपाठी का संशोधन है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन दायित्वों के सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहूंगा जिन की कि पूर्ति समवायों द्वारा उन उपबन्धों के अधीन करनी चाहिये जो कि पारित कर दिये गये हैं। किन्तु खेद है कि वित्त मंत्री का रुख उन सिद्धान्तों के विपरीत है जो भाभा समिति ने अपनी सिफारिशों के दौरान में स्वीकार की हैं। वित्त मंत्री के कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह समवाय विधि तो अंशधारियों के बीच केवल सम्बन्ध बनाये रखने के लिये है। भाभा समिति ने योजना आयोग की सिफारिशों को मान लिया है, किन्तु यह तो गैर-सरकारी उपक्रम के बारे में हैं और उन का कहना है कि इस का अभिप्राय यह नहीं है कि गैर-सरकारी उपक्रम ही इस देश की आर्थिक क्रियाओं (कार्यवाहियों) का मुख्य स्रोत है। किसी समवाय विधि की नीति किसी राष्ट्र की आर्थिक नीति पर न्यूनाधिक रूप में प्रभाव डालती है और सरकार को इस पर कार्य करना होता है। इसलिये हमें इस दृष्टि से कार्य नहीं करना चाहिये कि सरकार, कर्मचारियों, जनता और उपभोक्ता जनता को कुछ नहीं करना बल्कि केवल अंशधारी ही करते हैं। इसलिये इस समवाय विधि का यह मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं होना चाहिये। इसलिये वित्त मंत्री के इस रवैये से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि केवल अंशधारियों को ही यह तै करना है कि समवाय किस प्रकार चलना चाहिये। श्री त्रिपाठी ने बताया है कि समवाय के लाभ और हानि के लेखों में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की स्थिति स्पष्टरूप से प्रकट होनी चाहिये। उन सभी संविधित दायित्व जिन की पूर्ति करने की आशा समवाय से की जाती है वे ये हैं, जैसे प्रसव कालीन लाभ, भविष्य निधि, कुछ क्षेत्रों में बीमा, स्वास्थ्य बीमा और खानों में कुछ सुरक्षा के उपाय। लाभ हानि के लेखे में यह दिखाया जाना चाहिये कि इन बातों पर कितना धन व्यय हो गया है अथवा उस की व्यवस्था की गई है। किन्तु मैं तो यह कहन चाहता हूं कि इस लेखे को समवाय की स्थिति

स्पष्ट रूप में बतानी चाहिये, और भारत के प्रत्येक नागरिक अथवा इस से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की छूट होनी चाहिये कि वह यह जान सके कि समवाय की आर्थिक स्थिति क्या है ।

यहां इस विधेयक में इस अनुसूची विशेष के अधीन सरकार को, कुछ समवायों को कुछ दायित्वों से छूट देने का अधिकार दिया गया है । हमारे यहां कुछ ऐसी विदेशी समवाय हैं जिन का कार्य ऐसा होता है जो हमारे देश के हित के विरुद्ध है । मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री इस के उत्तर में कह सकते हैं कि पारस्परिक सिद्धान्तों के आधार पर ही ये समवाय हैं । मैं यह नहीं जानता कि सभी देशों को विधियां एक जैसी होती हैं । यह कहा जाता है कि अमरीका जैसे देश में प्रत्येक विदेशी समवायाओं के लिये यह अनिवार्य है कि संचालक मंडल में वहां एक व्यक्ति हो । किन्तु ऐसा उपबन्ध हमारे देश में नहीं है ।

हमारे देश में स्थिति कुछ बड़े बड़े विदेशी समवाय सरकार को सीमा शुल्क नहीं देते । उन की किताबें औद्योगिक न्यायालयों में नहीं देखी जा सकतीं ।

इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन हम ने यह अनिवार्य बना दिया है कि समवायों के लाभ और हानि के लेखे बतलाये जायें और रजिस्ट्रार के यहां जमा किये जायें । किन्तु धारा ५ के अधीन केन्द्रीय सरकार जनता के हित में इन समवायों को कुछ छूट दे सकती है । अनुसूची १ की शर्तों में भी एक संशोधन है जिस के अनुसार लाभ-हानि लेखा रखा जाना चाहिये और उसे जमा करना चाहिये । विदेशी समवायों पर एक यही अनिवार्य दायित्व है कि वे लाभ-हानि लेखा जमा करें । हमने एक आरोप लगाया है किन्तु सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई जांच की है । इन समवायों के विभिन्न क्षेत्रों में बेनामी अभिकर्ता हैं ।

कल संचार मंत्री ने दूसरे सदन में शिकायत की थी कि हमारी वायु सेवायें घाटे में चलेंगी क्योंकि पेट्रोल हमारे देश में बहुत ऊंचे दामों पर मिलता है । यह बात समझ में नहीं आई कि जब बर्मा, आस्ट्रेलिया और भारत को एक ही जगह से पैट्रोल मिलता है तो फिर हमें अधिक दामों पर क्यों मिलता है ? इसलिये हमें यह देखना होगा कि ये समवाय हमारी स्थिति से लाभ उठाते हैं । इसी कारण इस उपबन्ध का मैं विरोध करता हूं । मैं यह नहीं समझ सका इन विदेशी समवायों को लाभ-हानि लेखा जमा करने से रोकने में हमारा क्या राष्ट्रीय हित है ?

श्री बंसल ने कल पूछा था कि गुप्त रक्षित धन को क्यों बताया जाय ? हमें इस रक्षित धन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की जांच करे कि १९३९ में यह रक्षित धन कितना धन था और १९४७ में कितना और किस विधि के आधार पर इन आस्तियों को उन्हों ने इतना बढ़ा लिया है ।

मैं यह तो नहीं कहता कि हमारे देश के सभी उद्योगपति इस प्रकार का कार्य करते हैं किन्तु कुछ अवश्य करते हैं । मैं उन के नाम नहीं बताना चाहता । इसलिये यह कहना भूल है कि गुप्त रक्षित धन नहीं बताना चाहिये और आशा करता हूं कि सरकार श्री बंसल के सुझावों को स्वीकार नहीं करेगी ।

काफी विचार के पश्चात् संयुक्त समिति भी इसी परिणाम पर पहुंची है । साधारण ज्ञान और अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन समवायों के बारे में सरकार बहुत उदार रही है । इस विधेयक के अनुसार जो कुछ भी सीमित अधिकार मिले हैं विदेशी

[श्री के० के० बसु]

समवायों के बारे में हम उन का प्रयोग करना नहीं चाहते । हमें स्पष्ट रूप से यह जानना चाहिये कि वे समवाय किस प्रकार का व्यापार करते हैं, तथा उन्हें कितना लाभ हुआ है अथवा कितनी हानि हुई है। यह स्वाभाविक है कि उन के सम्बन्ध में प्रत्येक बात की चर्चा यहां सदन में नहीं हो सकती । यह तो उन्हीं व्यक्तियों पर निर्भर होगा जो परामर्शदायी आयोग में होंगे । मैं तो यह कहूंगा कि कोई छूट नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि उप खंड विशेष के बारे में सरकार आग्रह न करे ।

यह उपखंड, लाभ हानि-लेखा प्रस्तुत करने सम्बन्धी खंड में सरकार द्वारा छूट देने की आज्ञा देता है। गुप्त रक्षित धन नहीं बताये जाने चाहियें इस सुझाव का मैं भी विरोधी हूं । हमारे उद्योगपतियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्मचारियों के सा साथ वे भी भावी भारत के निर्माता हैं । यदि उन की भावना ऐसी हुई तो फिर अन्य भारतीय नागरिकों से छिपाव की क्या आवश्यकता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे और देखे कि ये गैर-सरकारी क्षेत्र भी सामाजिक उद्देश्य से कार्य करें । हमें यह देखना चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र हमारी योजना के परिपूरक हैं और इस दृष्टि से हमें यह भी देखना चाहिये कि हमारे आर्थिक उद्देश्य और आर्थिक व्यवस्था, जिसे हमारी संसद् यह समझती है कि हमारा राष्ट्र अपनाये और चहती है कि सरकार उस पर अमल करे, इस सदन द्वारा पारित विधि में निहित भी होनी चाहिये ।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनू) : मैं विधेयक की सूची ६ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मुझ से पहिले जिन माननीय सदस्य ने भाषण दिया वह सरकार द्वारा पालन की जाने वाली नीति के संबंध में था, न कि सूची के सम्बन्ध में ।

सूची ६ में समवाय को अनुदेश दिये गये हैं कि वह संतुलन-पत्र तथा हानि-लाभ लेखा इस प्रकार प्रकाशित करायें कि प्रत्येक अंशधारी भलीभांति जान सके कि समवाय की आर्थिक स्थिति क्या है । पृष्ठ ३६० पर टिप्पण (ण) में बताया गया है कि तीन महीने तक वसूल न होने वाला कर्ज अग्रिम ऋण माना जायेगा । इस से अंशधारियों को भ्रम होगा अतः उसे अग्रिम ऋण के स्थान पर 'न वसूल हुआ धन' कहना ठीक है । इस संबंध में मैं ने कोई संशोधन इसलिये नहीं किया कि खण्ड ६३२ के अनुसार सरकार कभी भी सूची का संशोधन कर सकती है ।

पृष्ठ ३५३ में बताया गया है कि संतुलन-पत्र में वह अंश भी दिखाये जाने चाहियें जो निदेशकों या प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा जमा न किये गये हों । पर एक गैर-सरकारी समवाय में प्रबन्ध अभिकरण के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है अतः यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि यदि प्रबन्ध अभिकरण एक सरकारी समवाय हो तो संतुलन-पत्र में निदेशकों द्वारा अदा किये गये अंश भी दिखाये जाने चाहियें ।

आकस्मिक दायित्वों के सम्बन्ध में भी एक बात है । पृष्ठ ३५८ में हम ने शीर्ष ५ के बजाय शीर्ष में उस का उपबन्ध कर दिया है जो उचित नहीं है अतः इस का उपबन्ध आकस्मिक दायित्वों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये । मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि आस्तियों की ओर "फुटकल ऋणों को छोड़ कर अन्य रक्षित निधि" रखा गया है। इस विषय पर भी सरकार को फिर से विचार करना चाहिये ।

अन्त में, मैं उन माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों का खण्डन करता हूं जिन्हों ने मुझ से पूर्व भाषण दिया है और कहा है कि उन्हों ने भाभा समिति के प्रतिवेदन पर ठीक प्रकार विचार नहीं किया है। पर मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने भाभा समिति के प्रतिवेदन को ठीक प्रकार नहीं पढ़ा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्री बसु ने पृष्ठ ३०८ के विनियम संख्या ८५ का संशोधन करने के लिये संशोधन संख्या ११७६ रखा है। सारणी क के विनियम ८५ में "लाभांशों और रक्षित निधि" की चर्चा की गई है। श्री बसु ने उस में संशोधन किया है कि लाभांश ८ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। यह ध्यान रहे कि इन गैर-सरकारी क्षेत्रों के समवायों पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा चुके हैं, अतः ८ प्रतिशत की सीमा निश्चित करना ठीक नहीं।

संशोधन ११७८ को लीजिये। इस में श्री बसु ने कहा है कि कोई भी समवाय समवरुद्ध पूंजी में लगाने के अलावा पूंजी इकट्ठी नहीं करेगा। पर यह कोई अनिवार्य बात नहीं है, अतः कोई भी समवाय, चाहे वह इसे माने या न माने, उस के मन की बात है :

उपसमिति के सभापति की हैसियत से मैं यह कहूंगा कि हम ने ११ सदस्यों के सहयोग से अनुसूची पर भली प्रकार विचार कर लिया है। उपसमिति में सभी प्रकार की विचार धारा के हितों की रक्षा की बात कही गई थी और सब के हितों का ध्यान भी रखा गया है, अतः मुझ पर या माननीय मंत्री पर कोई भी आरोप लगाना कि हम विदेशी समवायों का पक्षपात करते हैं या उन को जड़ें जमाना चाहते हैं ठीक नहीं। यदि हमें विदेशी समवायों को बिल्कुल समाप्त करना है तो हमें ऐसा विधान पारित करना चाहिये। पर ध्यान रहे कि यदि हम विदेशी समवायों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो विदेश में हमारे जो समवाय हैं उन के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जायेगा। अतः ऐसी नीति अपनाना देश की आर्थिक नीति के लिये हानिकारक होगा।

अब मैं रक्षित निधियों की बात को लूंगा। श्री बंसल ने उप समिति की बैठक में कभी भी यह नहीं कहा कि पृष्ठ ३५४ पर, पंक्ति १५ में कही गई बातों को लागू करना गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये बहुत कठिन होगा। इंग्लैंड के कम्पनी ऐक्ट में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है और वहां पर समवायों को ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती। अतः हमारे विनियम के सम्बन्ध में भी यहां किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री मुरारका ने जो जो बातें कहीं, उन के संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री विचार करेंगे।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं श्री चटर्जी का बहुत आभारी हूं। वह उपसमिति में थे और उन्हों ने श्री बसु की बहुत सी बातों के संबंध में उत्तर दिया है। इस प्रकार उन्हों ने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है।

विधेयक के खण्डों पर बोलते समय श्री बसु ने कई प्रश्न पूछे। संशोधन संख्या ११७५ जो दान आदि के बारे में था, उस का उत्तर खण्ड २९२ की चर्चा करते समय वित्त मंत्री ने दिया था। उस समय श्री झुनझुनवाला ने कहा था कि यह सही है कि यह सब बातें अंशधारियों को दिये जाने वाले निदेशकों के प्रतिवेदन में रखी जाती हैं। साथ ही सामान्य बैठक में अंशधारियों से इन बातों के सम्बन्ध में उस प्रश्न पूछने का भी हक होता है। अतः यह संशोधन बेकार और अनावश्यक हैं।

लाभांशों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री चटर्जी ने अभी बताया है कि यह भुगतान

[श्री एम० सी० शाह]

एक अलग संविधि बना कर ही किया जा सकता है। जब सरकार लाभांशों पर सीमा लगाना चाहती है तो उसे एक अलग विधान बनाना पड़ता है जैसा कि १९४२ में किया गया था। इस सम्बन्ध में काफी विस्तृत रूपसे मैंने उस समय बताया था जब श्री अशोक मेहता ने यह बात उठाई थी। अब उन्हीं बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं।

रक्षित निधियों और बोनस अंशों के पंजीकरण के सम्बन्ध में श्री बसु और श्री त्रिपाठी ने जो कुछ कहा वह गलत है। यदि उन का सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है तो इस से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को हानि पहुंचाना हम ठीक नहीं समझते। हम अंशधारियों से उन का अधिकार नहीं छीनना चाहते। वास्तव में, अंशधारी अपने लाभांश का एक हिस्सा खुद छोड़ रहे हैं और इसे अवितरित लाभ और रक्षित समझा जाता है। यह रिजर्व अंशधारियों का होता है इन अवितरित लाभों पर श्रमिकों का कोई हक नहीं होता। अतः हमें इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

अब मैं श्री त्रिपाठी और श्री बसु के संशोधन संख्या ११५४ और १२०३ को लेता हूं। ये संशोधन यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि पृष्ठ ३६४, पर पंक्ति १३ से २१ तक हटा दी जायें। यह पैरा समवाय के लाभ हानि लेखे से सम्बन्धित इंगलैंड के समवाय अधिनियम की अनुसूची के पैरा १२(२) के शब्दों की ही भांति है। इस विधेयक की अनुसूची ६ के भाग २ के अन्तर्गत समवायों को उन मदों का जिक्र करना पड़ता है जिन पर उन के लाभों में से व्यय किया जाता है और जिन मदों का इस प्रकार जिक्र किया जाता है उन का वर्णन विस्तार से किया जाता है। लाभों में से निर्धारित किये गये धन के सम्बन्ध में एक अपवाद है कि यदि आस्तियों को घटोतरी, नवीकरण और कमी सम्बन्धी राशियों को सरकार की दृष्टि में, लाभदायक न समझा जाय तो उसे प्रकाशित न किया जाय।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

बैंक, बीमा और बिजली समवायों, जो ऐसे समवायों के लिये बनाये गये विशेष अधिनियमों के द्वारा निश्चित किये गये लेखाओं के अधीन होते हैं, के अतिरिक्त अन्य समवाय, जैसे नौवहन समवाय, आदि भी हैं जिन में लाभों में से अलग निश्चित की गई राशियों को प्रकाशित करना सरकारी हित में नहीं होगा। चूंकि समवाय के लाभ और हानि लेखे समवाय की आर्थिक स्थिति का ठीक ठीक वर्णन करते हैं अतः समवाय को घटोतरी और नवीकरण आदि के उपबन्धों की राशि को छोड़ कर शेष राशियों को प्रकट करना ही होगा, चाहे उस से सरकार को हानि हो या लाभ। पैरा ५ विधेयक के लाभ और हानि संबंधी लेखे के उपबन्धों की इस कठोरता को कम करता है। ध्यान रखें कि जहां भी ऐसी छूट की अनुमति दी गई है वहां इस बात का जिक्र लाभ और हानि लेखे के शीर्ष में किया जाना चाहिये। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड के अधिनियम के उपबन्ध गुप्त रक्षित निधियों के सम्बन्ध में कोहेन समिति के प्रतिवेदन के पैरा १०१ की सिफारिशों के आधार पर हैं। अतः मैं श्री त्रिपाठी या श्री बसु का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

अब मैं श्री बसु के संशोधन संख्या ११७८ को लेता हूं। उस में उन्हों ने कहा है कि समवाय अवरुद्ध पजी में लगाने के अलावा अन्य किसी प्रकार की रक्षित निधियों या उसके अंशों का पूंजीकरण नहीं करेगा। इस संशोधन का अभिप्राय बोनस अंशों के जारी करने को रोकना है। ऐसी रोक आशावादी विनियोजकों को निरुत्साहित करेगी। अवरुद्ध पूंजी में

न जोड़ने पर भी पूंजीकरण उचित हो सकता है, जैसे कि यदि समवाय की प्रदत्त पूंजी उस की अवरुद्ध पूंजी के वास्तविक मूल्य से कम है ।

पूर्त सूची के उपबन्धों के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं । श्री बसु ने भी कहा है कि कोई भी लाभांश ८ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । में इस बात का उत्तर दे चुका हूं और श्री चटर्जी ने भी इस बात के सम्बन्ध में बहुत कुछ बताया है ।

अब मैं श्री त्रिपाठी के संशोधन संख्या ११५३ को लेता हूं जो छंटनी और थोड़ा समय के लिये काम से हटाने (बैठकी) के सम्बन्ध में है । यह संशोधन गलत है । छंटनी और थोड़ा समय के लिये काम से हटाने (बैठकी) के लिये प्रतिकर देना एक कानूनी दायित्व है जिस के लिये समवाय के हिसाब में उपबन्ध होना आवश्यक है । मजूरी और बोनस को बराबर करने का सुझाव भी अनुचित है । आजकल अधिकांश उद्योगों में मजूरी प्रबन्ध और सम्बन्धित यूनियन के समझौते के अनुसार तय होती है और इन्हीं दोनों पक्षों के समझौते के परिणामस्वरूप मजूरी में कोई कमी की जा सकती है । यही बात बोनस के सम्बन्ध में भी है । लाभांशों के बराबर करने की बात बिल्कुल अलग बात है । समवाय के मालिक एक अच्छी आय वाले वर्ष में अधिक लाभ नहीं लेते क्योंकि उन्हें एक कम आय वाले वर्ष में कमी को भी पूरा करना पड़ता है । यदि वह समायोजन की व्यवस्था नहीं करते तो उस समवाय के अंशों की मान्यता और नये विनियोजन की आशा पर खराब प्रभाव पड़ता है । अतः यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री बसु का संशोधन संख्या ११७७ इस प्रकार है :

पृष्ठ ३०९ पंक्ति ४५ में स०त्राय के पश्चात् 'शाखाओं को, यदि कोई हो तो, सम्मिलित करके' शब्द रखे जायें ।

इस संशोधन का उद्देश्य अंशधारियों को यह सूचना देना है कि समवाय के लेखे की पुस्तकें कब और कहां देखी जा सकती हैं : हिसाब-किताब को सही रखने की व्यवस्था खंड २०८ में भी की जा चुकी है जो कि शाखा कार्यालय की लेखा पुस्तकों से भी सम्बन्ध रखता है ।

विनियम ९५ के अधीन निदेशकों द्वारा किये गये किसी कार्य के अन्दर शाखा कार्यालय का लेखा भी आ जायेगा । इसलिये यह संशोधन आवश्यक नहीं है ।

उन्हों ने संशोधन संख्या ११७८ भी प्रस्तुत किया है, जिस में सुझाव दिया गया है कि समवाय रक्षित राशि को पूंजी के रूपमें उपयोग नहीं करेगा । इस सम्बन्ध में भी में कह चुका हूं कि में यह स्थिति स्वीकार करने को तत्पर नहीं हूं कि जब अवितरित लाभ संचित होंगे तो समवाय बोनस नहीं बांटेगा ।

जैसा कि वित्त मंत्री ने बोनस अंशों के सम्बन्ध में कहा है, करारोपण तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में दूसरी स्थिति पर विचार किया जायेगा ।

ये मुख्य संशोधन हैं, अन्य प्रस्तुत संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं ।

श्री बंसल के प्रश्न के सम्बन्ध में, जिस की श्री चटर्जी ने व्याख्या की है, यह अंग्रेजी कम्पनीज ऐक्ट में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही है । हम ने इसी प्रकार की व्यवस्था की है । खंड २१० के उपखंड (३) और (४) केन्द्रीय सरकार को विधेयक की छठी अनुसूची में जो कि उन समवायों के लेखे के सम्बन्ध में है जिन का प्रकट करना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है अथवा जिस से समवाय को हानि होने की संभावना है, परिवर्तन करने का अधिकार देते हैं । इसलिये केन्द्रीय सरकार को शक्ति देना आवश्यक नहीं ज्ञात होता, और इस सम्बन्ध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये ।

[श्री एम० सी० शाह]

हम ने श्री मुरारका के द्वारा उठाये गये प्रश्नों को ध्यान में रख लिया है । उन्हों ने संशोधन इस कारण प्रस्तुत नहीं किया कि खंड ६३२ के अधीन सरकार को विनियमों के संशोधन करने का अधिकार है । इसलिये सरकार इन सभी प्रश्नों पर विचार करेगी । यदि सरकार परिवर्तन करना आवश्यक समझेगी तो एक अधिसूचना के द्वारा परिवर्तन कर देगी ।

मुझे इस से अधिक कुछ नहीं कहना है ।

श्री के० के० बसु : संशोधन संख्या ३२० के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री एम० सी० शाह : माननीय सदस्य ऐसा संशोधन चाहते हैं कि 'केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित और सरकारी गजट में अधिसूचित की गई तारीख' शब्दों के स्थान पर १ जनवरी, १९५६ शब्द रखे जायें । हम इस बात के लिये निश्चित तारीख नहीं दे सकते कि पारित होने के पश्चात् विधेयक कब लागू होगा । हमें नियम बनाना है और सारी तैयारियां करनी हैं । हम इस अधिनियम को यथासम्भव शीघ्र लागू करना चाहते हैं लेकिन हम पहिली जनवरी, पहिली फरवरी तथा पहिली मार्च, आदि प्रकार की कोई तारीख नहीं दे सकते हैं । वित्त मंत्री पहिले ही यह संकेत कर चुके हैं कि अधिनियम को पहिली अप्रैल के पूर्व लागू करना सम्भव नहीं होगा । मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम सारी व्यवस्था तथा नियम, जो कि इस अधिनियम के लागू करने के लिये आवश्यक हैं, यथाशीघ्र बना सकें । सरकार का अभिप्राय नितान्त स्पष्ट है कि वे इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू करना चाहते हैं किन्तु बिना सभी व्यवस्थाओं को पूरा किये इसे लागू करना कठिन होगा । इसलिये हम यह "पहिली जनवरी, १९५६" वाला संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : 'यथा शीघ्र' के क्या तात्पर्य हैं ?

श्री एम० सी० शाह : मैं किसी निश्चित तारीख का वचन नहीं दे सकता हूं; किन्तु मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि यह पहिली अप्रैल, १९५६ के पश्चात् नहीं होगा । सरकार इसे यथाशीघ्र लागू करने के लिये इच्छुक है और यह पहिली अप्रैल, १९५६ के पूर्व लागू हो जायेगा । क्या कोई अन्य संशोधन भी है ?

श्री के० के० बसु : इस समय कोई अन्य संशोधन नहीं हैं ।

सभापति महोदय : अब मैं अनुसूचियों को मतदान के लिये रखूंगी ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २९५, पंक्ति ३--
"१३" का लोप किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
पृष्ठ ३०३ और ३०४--
क्रमशः पंक्ति ३८ से ४३ और १ से ३ का लोप किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
पृष्ठ ३१२, पंक्ति ११

"Addresses" [पतों] के बाद " descriptions " [विवरणों] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
पृष्ठ ३१३, पंक्ति ४--

" addresses " [पतों] के बाद "description" [विवरणों] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११००, ११७५, ११७६, ११७७, ११७८, ११७९, ११८०, ११८१, ११८२, ११८३, ११५२ और ११५३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।"

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११८४, ११८५, ११८६ और ११८७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची २ विधेयक में जोड़ दी गयी ।

सभापति महोदय : अब मैं अनुसूची ३ के सरकारी संशोधन मतदान के लिये रखती हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३३, पंक्ति १६ और १७–

" three years " [तीन वर्ष] के स्थान पर "five years" [पांच वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३३, पंक्ति २१–

" three years " [तीन वर्ष] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३३, पंक्ति २३–

" respect of " [के बारे में] के बाद " four years, three years " [चार वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

पृष्ठ ३३३, पंक्ति २५—

"references to" [के निर्देश] के बाद " four years, three years " [चार वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३३, पंक्ति २८—

"three years" [तीन वर्ष] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३३, पंक्ति ३५–

"reference to " [के निर्देश] के बाद "five years, four years" [पांच वर्ष, चार वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३३, पंक्ति ४०–

"less than" [से कम] के बाद "five years, four years" [पांच वर्ष, चार वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

पृष्ठ ३३९, पंक्ति ४३—

" three years " [तीन वर्ष] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३९, पंक्ति ४६–

" three years " [तीन वर्ष] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३९, पंक्ति ४८—

" in respect of " [के बारे में] के बाद " four years, three years " [चार वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३३९, पंक्ति ५१—

"to" [तक] के बाद "four years, three years" [चार वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३४०, पंक्ति २—

"three years" [तीन वर्ष,] के स्थान पर " five years " [पांच वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३४०, पंक्ति ९—

"to" [तक] के बाद "five years, four years" [पांच वर्ष, चार वर्ष] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३४०, पंक्ति १३—

" not less than " [से अन्यून] के बाद "five years, three years" [पांच वर्ष, तीन वर्ष] रखा जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची ४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची ४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची ५ विधेयक मे जोड़ दी गई ।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११८८, ११८९ और ११५४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए । संशोधन संख्या १२०३ संशोधन संख्या ११५४ जैसा ही होने से अवरुद्ध हो गया ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची ६ विधेयक में जोड़ दी गई ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि अनुसूची ७ और ८ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

अनुसूची ७ और ८ विधेयक में जोड़ दी गयीं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३७०,

पंक्ति ४ के बाद "General Form" [सामान्य प्रपत्र] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३७०,

पंक्ति १९ के बाद रखा जाये :

"Form for affording members an opportunity of voting for or against a resolution".

["सदस्यों को एक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मत देने का एक अवसर प्रदान करने के लिये प्रपत्र"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३७०,

पंक्ति ३६ से ३९ का लोप किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"अनुसूची ९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची ९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि अनुसूची १० और ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची १० और ११ विधेयक में जोड़ दी गयीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३७६, पंक्ति ४ से १४—

". extent of repeal " [निरसन की सीमा] शीर्षक वाले स्तम्भ ४ और उस की सभी प्रविष्टियों का लोप किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी ।

[सभापति महोदय द्वारा नई अनुसूची १३ वाले संशोधन संख्या ४४० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

[खंड १ पर श्री के० के० बसु द्वारा अपना संशोधन संख्या ३२० और श्री राने द्वारा अपना संशोधन संख्या ६२ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : अब सभी खंड निपटाये जा चुके हैं । अब मैं मंत्री जी से तृतीय वाचन के लिये प्रस्ताव करने को कहूंगा ।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

मुझे कुछ आनुषंगिक विधेयक संशोधन प्रस्तुत करने हैं, जो सदस्यों को भेजे जा चुके हैं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २४, पंक्ति ४२ से ४४ में से—

"which is required to be stated therein under the provisions of Schedule II or IV, as the case may be"

["जिस का अनुसूची २ या ४ के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति, उस में बताया जाना अपेक्षित है"] अंश का लोप किया जाये ।

(२) पृष्ठ ३८, पंक्ति ३९ और ४० में से—

"which is required to be stated therein under the provisions of Schedule II or IV, as the case may be".

[श्री एम० सी० शाह]

["जिस का अनुसूची २ या ४ के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति, उस में बताया जाना अपेक्षित है"]

अंश का लोप किया जाये ।

(३) पृष्ठ १०२—

पंक्ति ३१ से ३३ के स्थान पर यह अंश रखा जाये :

"Provided that any such reappointment, re-employment or extension shall not be sanctioned earlier than two years from the date on which it is to come into force."

*["परन्तु ऐसी कोई पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियोजन या सेवाकाल-विस्तार उस तिथि से दो वर्ष के पहले मंजूर न किया जायेगा, जिस को यह प्रभावी होने को है ।]

(४) संशोधन-सूची १३ में संख्या ३१७ के रूप में छपे और सभा द्वारा स्वीकृत नये उपखंड ४ में—

"Boards report" [बोर्ड के प्रतिवेदन] के बाद " and any addendum thereto" [और उसका कोई परिशिष्ट] रखा जाये ।

(५) पृष्ठ १४६—

(एक) पंक्ति ६, " or any firm in which he is a partner " [या कोई कार्य जिस में वह भागीदार है] का लोप किया जाये, और

(दो) पंक्ति ११, "or the firm" [या फर्म] के स्थान पर "whether alone or jointly with others" [चाहे अकेले या दूसरों के साथ-साथ] रखा जाये ।

(६) पृष्ठ १४७—

पंक्ति ६ के बाद रखा जाये :

"Provided further that nothing contained in this subsection shall apply where the company has availed itself of the option given to it under section 264 to appoint not less than two-thirds of the total number of directors according to the principle of proportional representation."

["परन्तु यह और भी कि इस उपधारा में निविष्ट कोई बात उस स्थिति में लागू न होगी, जब समवाय ने धारा २६४ के अधीन उसे दिये गये निदेशकों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून की नियुक्ति समानुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर करने के विकल्प का प्रयोग कर लिया हो।"]

(७) पृष्ठ १४९, पंक्ति १५—

"such of them" [उन में से ऐसे] के स्थान पर "such of the directors as are then in India" ["ऐसे निदेशक, जो उस समय भारत में हैं"] अंश रखा जाये :

(८) पृष्ठ १८४—

पंक्ति १६ और १७ के स्थान पर—

"Provided that no renewal shall take place earlier than one year from the date on which it is to come into force".

[परन्तु ऐसा कोई पुनर्नवीकरण उस तिथि से दो वर्ष से पहले न होगा जिस को यह प्रभावी होने को है ।"]

(९) (क) पृष्ठ २७—

(१) पंक्ति ४१, " A notice " [एक सूचना] के स्थान पर "A document" [एक दस्तावेज] रखा जाये;

(२) पंक्ति ४२, " given by the company to any member " "[समवाय द्वारा किसी सदस्य को दिया गया]" के स्थान पर "served by a company on any member thereof " [एक समवाय द्वारा उस के किसी सदस्य को पहुंचाया गया] रखा जाये,

(३) पंक्ति ४६, "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये;

(४) पंक्ति ४७, " Service of notice" [सूचना का पहुंचाया जाना] के स्थान पर "service thereof" [उस का पहुंचाया जाना] रखा जाये, और

(५) पंक्ति ४९, " notice " [सूचना] के स्थान पर "document " [दस्तावेज] रखा जाये ।

(ख) संशोधन सूची १९ में संख्या ४४२ के रूप में छपे और सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन में:

(एक) "notices" [सूचनाओं] के स्थान पर " documents" [दस्तावेजों] रखा जाये; और

(दो) " notice " [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये :

(ग) पृष्ठ २८—

(एक) पंक्ति ८, "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये;

(दो) पंक्ति १०, "given" [दिया गया] के स्थान पर "served" [पहुंचाया गया] रखा जाये;

(तीन) पंक्ति १४, "notice may be given" [सूचना दी जा सकेगी] के स्थान पर "document may be served" [दस्तावेज पहुंचाया जा सकेगा] रखा जाये,

(चार) पंक्ति १४, "to the joint-holders" [संयुक्त धारियों को] के स्थान पर "on the joint-holders" [संयुक्त धारियों पर] रखा जाय;

(पांच) पंक्ति १५, "giving the notice to" [को सूचना दिया जाना] के स्थान पर "serving it on" [इसे उन तक पहुंचाया जाना] रखा जाये,

(छः) पंक्ति १७, "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये;

(सात) पंक्ति १७, "given" [दिया गया] के स्थान पर "served" [पहुंचाया गया] रखा जाय;

(आठ) पंक्ति १७,"to the persons" [व्यक्तियों को] के स्थान पर "on the persons" [व्यक्तियों पर] रखा जाये,

(नौ) पंक्ति २४, "giving the notice" [सूचना दिया जाना] के स्थान पर "serving the document" [दस्तावेज पहुंचाया जाना] रखा जाये,

(दस) पंक्ति २४, "given" [दिया गया] के स्थान पर "served" [पहुंचाया गया] रखा जाये ।

(१०) पृष्ठ १६६—

पंक्ति २० से २२ के स्थान पर रखा जाये :

"Provided that any such re-appointment, re-employment or extension shall not be sanctioned earlier than two years from

[श्री एम० सी० शाह]

the date on which it is to come into force."

["परन्तु ऐसी कोई पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियोजन या सेवाकाल-विस्तार उस तिथि से दो वर्ष से पहले मंजूर न किया जायेगा, जिस को यह प्रभावी होने को है"।]

(११) पृष्ठ १३७, पंक्ति १३— "memorandum and" [ज्ञापन और] का लोप किया जाये ।

(१२) संशोधन सूची ४९ में संख्या ८९२ के रूप में छपे और सभा द्वारा स्वीकृत उपखंड (१) के नये भाग (च) में "employee" [कर्मचारी] के स्थान पर "officer or employee" [पदाधिकारी या कर्मचारी] रखा जाये ।

(१३) पृष्ठ २८४, पंक्ति ३— "any Registrar" [कोई पंजीयक] के बाद "Additional, Joint, Deputy, or" [अतिरिक्त, संयुक्त, उप, या] रखा जाये ।

(१४) पृष्ठ २८४, पंक्ति १० — "any Registrar" [कोई पंजीयक] के बाद "Additional, Joint, Deputy, or" [अतिरिक्त, संयुक्त, उप, या] रखा जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी आनुषंगिक संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या यह संशोधनों की अन्तिम सूची है ।

श्री एम० सी० शाह : जी हां, ये अन्तिम संशोधन हैं ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : इस विशाल विधेयक के पारित होने के उपरान्त हम संतोष का सांस ले सकते हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्हों ने बड़े धैर्य तथा लगन से इस विधेयक के समस्त संशोधनों पर विचार किया ।

मैं संयुक्त समिति के सभापति श्री पाटस्कर को भी बधाई देता हूं जिन्होंने विरोधी दृष्टिकोण वाले सदस्यों के होते हुए भी सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

यह विधेयक बहुत विवादग्रस्त है और विशाल था तथा इस के पारित करने में भी पर्याप्त समय लगा । यद्यपि व्यापारी समुदाय इस बात से चिन्तित था कि अब गैर-सरकारी उद्योग में कई बाधायें उत्पन्न हो जायेंगी तो दूसरी ओर वामपक्षीय लोग विधेयक के उपबन्धों को और भी व्यापक बनाना चाहते थे, किन्तु सभा को इस बात पर संतोष और गर्व होना चाहिये कि उन्हों ने ऐसा विधान पारित किया है जो कि मध्य मार्ग ग्रहण करता है ।

यह विधेयक कई बातों में अद्वितीय है । इसमें प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली से सम्बंध रखने वाले उपकरणों के अलावा, विदेश की विधियों के कई उपबन्ध भी स्वीकार कर लिये गये हैं, विशेषत: इंगलैंड की विधियों को अपनाया गया है विशेष परिस्थितियों पर निदेशकों के चुनाव के लिये समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी रखा गया है । संसार की किसी देश की सरकार को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं हैं । समवाय विधेयक का मुख्य उद्देश्य संयुक्त स्कंध समवायों को प्रोत्साहन देने के लिये आधार तैयार करना है, यद्यपि यह समवाय अधिनियम के अधीन पंजीयिन सरकारी उद्योगों पर लागू होता है । गैर-सरकारी क्षेत्रों का हमारी आयोजित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है अत: उन्हें कार्य करने में पूरी स्वतंत्रता देना बहुत आवश्यक है ।

मैं इस विधेयक को दो विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । सर्वप्रथम, इस में सरकार को बहुत अधिकार दिये गये हैं, दूसरे ये विधेयक अत्याधिक जटिल तथा व्यापक है । मैं व्यापारी वर्ग से अपील करूंगा कि वे इस की सफलता में सहयोग दें ।

यह कहा जा रहा है कि व्यापारी वर्ग की दशा अभियोगाधीन व्यक्ति की तरह है । उन्हें अपने को अवसर से लाभ उठाने योग्य सिद्ध करना है । यह सम्भव है कि इस विधि के प्रशासन से अड़चनें पैदा हों, किन्तु इस का बहुत बड़ा दायित्व विभाग पर निर्भर है कि वह किस प्रकार इस अधिनियम का प्रशासन करता है । वित्त मंत्री जी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है । यदि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् समवायों का विकास तथा प्रगति अवरुद्ध हो गई और उस से देश के औद्योगीकरण में बाधा उत्पन्न हुई, तो व्यापारी-समुदाय की आशंका दूर हो जायेगी, अतः सरकार तथा व्यापारी समुदाय दोनों के ऊपर ही इस बात का दायित्व है कि वे समवाय विधि को इस प्रकार प्रशासित करें कि देशका औद्योगिक विकास हो । वस्तुतः सरकार की भी इस सम्बन्ध में परीक्षा होगी । सरकार अपने विलम्ब तथा लालफीताशाही के लिये बदनाम है जब कि गैर-सरकारी उद्योग अपने तत्काल निर्णय, शीघ्र कार्य इत्यादि के लिये विख्यात है । अब कई बातों में सरकार के निर्णय की आवश्यकता होगी और इन निर्णयों में विलम्ब हो जाने से उद्योग को बहुत हानि हो सकती है यदि ऐसा हुआ तो गैर सरकारी समवायों का उपयुक्त प्रशासन नहीं हो सकेगा ।

यह कहा गया है कि मंत्रणादाता आयोग पहिले भी था तथा इस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हुई है । किन्तु अब स्थिति परिवर्तित हो गई है, क्योंकि अब बहुत अधिक समवाय बहुत अधिक मामलों के सम्बन्ध में आवेदन देंगे । इसलिये जब तक विभाग इस विशाल और दायित्वपूर्ण कार्य करने के योग्य नहीं होगा तब तक सरकार के विरुद्ध शिकायतें आती रहेंगी ।

विधेयक में कई त्रुटियां हो सकती हैं, जिन का समवाय अधिनियम के प्रशासकों को ध्यान रखना होगा । उन्हें विधि का बहुत कठोर तथा संकीर्ण निर्वचन नहीं करना चाहिये प्रत्युत आवश्यकता पड़ने पर रियायतें देनी चाहियें तथा ढ़ील देनी चाहिये इस के लिये ज्येष्ठ पदाधिकारियों को व्यापारियों के प्रतिनिधियों से मिलते रहना चाहिये, जिससे वे उन की समस्याओं, परिस्थितियों तथा कठिनाइयों से अवगत हो सकें । इस सम्बन्ध में सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है ।

एक कठिनता यह भी है कि यह अधिनियम बहुत विशाल और जटिल है । इस का सविस्तार अध्ययन सबके लिये सम्भव नहीं । अतः इस के सामान्य ज्ञान के साथ ही साथ परिस्थितियों की भिन्नता मामले की पृष्ठ भूमि तथा अन्य अनेक कारणों को विचार में रखते हुए ही निर्णय किया जायेगा ।

किसी भी विधेयक को सरल तथा बुद्धिगम्य होना चाहिये किन्तु पूर्ण सतर्कता बरतने पर भी कई जटिलतायें रह जाती हैं । स्वयं मेरी ही समझ में नहीं आया है कि 'सहयोगी' शब्द के कितने अर्थ निकल सकते हैं । लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इस का प्रयोग देखने के पश्चात् ही इस का अर्थ स्पष्ट होगा ।

इस विधेयक की जटिलता नये उपक्रमी के सम्मुख भी आ सकती है और वह इस विधेयक के सम्पूर्ण उपबन्धों को न जानने के कारण कोई भूल कर सकता है । तब उसे दण्ड का भागी होना पड़ेगा । बड़े उपक्रमी जो अपने मंत्रणा दाताओं की योग्य मंत्रणा पा सकते हैं, भले ही ऐसी गलती न करें, किन्तु देश के सम्मुख छोटे पैमाने तथा मध्यम

[श्री बंसल]

पैमाने के उद्योगों की वृद्धि का एक बड़ा कार्यक्रम है और अधिकांश छोटे उपक्रमी ही इन पर पूंजी लगायेंगे अतः सभी तरह की कानूनी सलाह उन के लिये उपलब्ध होनी चाहिये ।

पंजीयकों के कार्यालयों में केवल अनुभवी व्यक्ति ही होने चाहियें जो कि नये उपक्रमी व्यक्ति को उचित सलाह दे सकें तथा उसका पथ प्रदर्शन कर सकें । और यदि त्रुटि हो भी जाय तो इस बात पर विचार किया जाय कि यदि गलती जानबूझ कर नहीं की गई हो तो उसे क्षम्य माना जाय ।

मेरा सुझाव तो यह है कि विधि के मुख्य उपबन्धों को एक संक्षिप्त पुस्तिका में प्रकाशित किया जाये तथा उचित तथा प्रतिबन्धित कार्यों की एक सूची बनाई जाय और उसे वितरित कर दिया जाय जिस से यह नये उपक्रम आरम्भ करने वालों का पथ-प्रदर्शन कर सके ।

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है । वह है अंशधारियों का मामला — विधेयक में कई उपबन्ध केवल उनके हितों की रक्षा तथा समवाय के उपयुक्त प्रशासन के लिये रखे गये हैं । अतः सरकार ने स्वयं ही उन का पक्ष लिया है और उन के हितों की रक्षा की है । लेकिन अंशधारियों को अपने अधिकार के सम्बन्ध में भी सतर्क रहना चाहिये । वे सामान्य बैठक में भी उपस्थित नहीं रहते हैं और अपने लाभांशों को ले कर ही संतुष्ट रहते हैं । हमें आशा करनी चाहिये कि वे अपने अधिकारों के सम्बन्ध में पहिले से अधिक सतर्क रहेंगे । इसलिय मैं सरकार, व्यापारी समुदाय तथा अंशधारियों से प्रार्थना करता हूं कि वे लोग इस अधिनियम को सफल बनाने में सहयोग दें ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्हों ने इस विधेयक का सुयोग्यता से संचालन किया है । यह बहुत विशाल एवं जटिल विधेयक है । आज से बहुत वर्ष पूर्व श्री श्याम प्रसाद मुकर्जी ने भी श्री देशमुख को उन की गम्भीर आशावादिता पर बधाई दी थी ।

मेरे विचार से यह विधेयक मूल विधेयक से कहीं अच्छा है, क्योंकि इस में पूंजी लगाने वाली जनता का ध्यान रक्खा गया है और उन के अधिकारों की रक्षा की गई है । पहिले उन्हें बिल्कुल भी अधिकार न थे और उन का शोषण किया जाता था, किन्तु अब सरकार उन के अधिकारों के प्रति सजग रहेगी ।

मैं संयुक्त समिति में था तथा मुझे ज्ञात है कि वित्त मंत्री जी का इस विधेयक के प्रति कितना उदार, स्वस्थ एवं पुष्ट दृष्टिकोण था । वह सहायक भी सिद्ध हुए ।

श्री पाटस्कर ने अध्यक्ष के रूप में बहुत श्रेयस्कर कार्य किया और वह एक वर्ष तक इस में कार्य करते रहे क्योंकि यह सब से जटिल विधेयक था ।

इस विधेयक से यद्यपि हमारे पूंजीपति तथा साम्यवादी दोनों ही मित्र असंतुष्ट हैं तथापि मेरा विचार है कि हम ठीक मार्ग पर हैं । लेकिन कदाचित हम ने गैर-सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के नाम पर कई प्रतिबन्ध तथा शर्तें लगा दी हैं जो कि उन के मार्ग में रुकावटें पैदा कर सकती हैं । लेकिन व्यापक सामाजिक उद्देश्य का ध्यान रखते हुए गैर-सरकारी उद्योग में कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहियें तथा यदि उद्योगपति इन के औचित्य को मान कर सहयोग करते हैं तो मुझे विश्वास है कि सरकार तथा संसद् भी उनको अधिक-से-अधिक सहायता देगी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में यह अनुभूति है कि बैंध सूत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है और पाबन्दी लगाने वाली बहुत सी शर्तें लगाई गई

हैं। व्यावहारिक रूप में, प्रत्येक समवाय के साथ एक छोटा सा न्यायवादी का सा दफ्तर होगा जहां औपचारिकताओं, आदि का और विनियम बनाने का काम होता रहेगा---और इस से वास्तव में कठिनाई होगी । किन्तु हम ईमानदार व्यापार प्रशासकों की स्वस्थ और स्वपक्षी प्रथाओं पर कुठाराघात नहीं करना चाहते। हम ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि व्यापारियों, पूंजीपतियों, अंशधारियों, अधिवक्ताओं और समवाय के हितैषियों की प्रतिनिधि समिति की इस एकमत सिफारिश में तथ्य है । उन का कहना है कि कई ऐसी अवांछनीय प्रथायें हैं जिन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिये। उन का यह निर्णय सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के विरुद्ध है। सरकार के विरुद्ध इसलिये कि उन्हों ने उचित व्यवस्था नहीं की और समवाय अधिनियम के प्रशासन के लिये किसी विभाग की व्यवस्था नहीं की। ६१२ खण्डों की इस समवाय विधि में कुछ बातें जोड़ दी गई हैं। किन्तु यह सब उपबन्ध व्यर्थ होगा जब तक हम इस अधिनियम के प्रशासन के लिये कार्यकुशल व्यवस्था और उचित कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था न करें। भामा समिति ने भी यही कहा कि सर एन० एन० सरकार द्वारा संचालित अधिनियम में कोई खराबी नहीं थी। आप को मालूम होगा कि वह विशाल अनुभव के अधिवक्ता होने के साथ साथ देश भर के सर्वश्रेष्ठ समवाय विधिवेत्ता थे। अपने वयोवृद्ध अनुभव के आधार पर उन्हों ने जो अधिनियम बनाया था उसे केन्द्रीय विधानमंडल ने स्वीकृत किया था। किन्तु सरकारी व्यवस्था न होने के कारण उन का वह अधिनियम निष्क्रिय रहा। भामा समिति ने भी यही कहा है कि सरल विधान से समस्या सुलझ सकती है, अधिक और जटिल विधान से नहीं। अधिक और जटिल विधान से उद्यम, उपक्रम आदि निष्क्रिय हो जाते हैं। जब तक आप इस अधिनियम के प्रशासन के लिये कोई अलग विभाग न खोलें, तब तक यह समस्या नहीं सुलझ सकती। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि इस काम के लिये किसी अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति के अधीक्षण में एक अलग विभाग खोला जायेगा। हमारी यह भी आशा है कि उस व्यक्ति को गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों से पूरा सहयोग मिलेगा ताकि पूरे जोर से काम शुरू हो सके। हम चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र का इस काम में महत्वपूर्ण भाग हो और यह क्षेत्र विकसित हो जिस से हमारी राष्ट्रीय अर्थ नीति में इस का अधिक भाग हो और औद्योगिक विकास में भी इस क्षेत्र का काफी हिस्सा रहे। हां शर्त यह है कि उन का दृष्टिकोण बदल जाये और वह यह समझें कि उन के क्या दायित्व हैं। इस काम के लिये जो विभाग होगा उस में प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग हो जो मुस्तदी, ईमानदारी और तीखी निगाह से काम करें।

तो मेरा यह एक संशय रहा है कि आप ने कार्यपालिका को बहुत अधिक अधिकार दिये हैं जिस से सरकार में कहीं अधिक नौकरशाही रुझाव पदा होने का खतरा है। अस्तु, मेरी यह आशा है कि कार्यपालिका शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगी और उद्योग के पहिये जाम नहीं कर देगी, अन्यथा इस से बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक की मूल विधेयक के साथ तुलना करने का प्रश्न है, इस में ऐसी पांच, छः बातें हैं जो मूल विधेयक में नहीं थीं। सर्व प्रथम, इस में नई धारा १९७ है जो कुल पारिश्रमिक को ११ प्रतिशत तक ही रखने का उपबन्ध करती है। यह सही है कि इस में कुछ अर्हतायें हैं किन्तु वे अपवाद-स्वरूप हैं और सीमित हैं। दूसरे, धारा २९३ में यह उपबन्ध है कि साधारण बैठक में ही समवाय द्वारा विक्रेता अभिकर्त्ता की नियुक्ति

[श्री एन० सी० चटर्जी]

हो सकेगी अथवा नहीं। यह एक सुधारात्मक उपबन्ध है, क्योंकि कई ऐसी कुप्रथायें चलती हैं जिन के परिणामस्वरूप शक्ति का दुरुपयोग होता है। एक मात्र विक्रेता अभिकरण की नियुक्ति की शक्ति निदेशक बोर्डों को नहीं वरन् साधारण बैठक को होनी चाहिये। तीसरे, हम ने प्रबन्ध अभिकरण के अधीक्षण में होने वाले, समवायों की संख्या की सीमा निर्धारित की है। मेरे विचार में यह वांछनीय है क्योंकि बहुत सी कम्पनियों का एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत होना हास्यास्पद है। इसीलिये धारा ३३१ में हम ने अधिकतम सीमा निश्चित की है। हम ने धारा ३४३ और ३४४ में सब से अधिक सुधार का उपबन्ध रखा है। हम न इस बात की घोषणा की है कि यह संसद् प्रबन्ध अभिकर्ताओं की दाययोग्यता को प्रोत्साहन नहीं देती। यह बात तो अब एक कपोलकल्पित कहानी रह गई है कि प्रत्येक उद्योगपति के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र को व्यापारशीलनता, व्यापार-क्षमता और व्यापार-मेधा दाय में मिला करती हैं। हम कह चुके हैं कि प्रबन्ध अभिकरण के संबंध में यह दाय-योग्यता और वसीयत करने की बातें नहीं होनी चाहियें क्योंकि इस से आर्थिक सत्ता का बहुत ही अवांछनीय केन्द्रीयकरण होता है।

गैर-सरकारी क्षेत्रों को यह समझना चाहिये कि हमारा रवैय्या केवल आलोचनात्मक ही नहीं रहा है वरन् हम ने कुछ सुझाव भी दिये हैं। हमारा सुझाव है कि सचिव तथा कोषाध्यक्ष प्रबन्ध-अभिकरण प्रणाली के बेनामीदार बन सकते हैं। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र से अपील करता हूं कि वह इस का दूसरा हल निकालने की कोशिश करें, ताकि कहीं ऐसा न हो कि सरकार या संसद् उत्तेजित हो कर किसी उद्योग या क्षेत्र से प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को बिल्कुल ही समाप्त कर दें।

हम ने सरकार को यह भी अधिकार दिया है कि यदि अत्याचार किये जाने की दशा में वह दो निदेशक नियुक्त कर सकती है और दूसरी बात जो हम ने की है वह यह है कि हमने अनुपाती प्रतिनिधित्व को स्थान दिया है। मान लीजिये कोई समवाय अनुपाती प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करता है परन्तु अल्प संख्यक यह अनुभव करते हैं कि उन के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो वे सरकार से कह सकते हैं और सरकार मंत्रणा आयोग से परामर्श करने के बाद उस समवाय को अनुपाती प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिये मजबूर कर सकती है।

अन्त में मैं खेद प्रकट करता हूं कि सरकार ने भाभा समिति की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। उस की एक सिफारिश यह थी कि एक संविधिक स्थायी-तुल्य आयोग होना चाहिये? परन्तु वित्त मंत्री को यह सिफारिश पसंद नहीं आई। भाभा समिति ने यह सिफारिश इसलिये नहीं की थी कि उसे सरकार या तत्संबंधी मंत्री की ईमानदारी का भरोसा नहीं था। उस का कहना था कि २९००० समवाय हैं और जब नियंत्रण विनियमन और अधीक्षण सम्बन्धी इतने उपबन्ध हैं तो सरकार को हजारों आवेदन पत्र प्राप्त होंगे और कोई भी मंत्री या उपमंत्री उन को कैसे नपटा सकेगा। इस लिये निश्चय ही किसी अधीक्षक सहायक सचिव या उप-सचिव को ही उनको निपटाना पड़ेगा और हो सकता है कि बहुत सी अवांछनीय बातें हों। परन्तु तो भी उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है अब मैं आशा करता हूं कि यह मंत्रणा आयोग इस प्रकार बनाया जायेगा और सरकार इस के साथ इस प्रकार व्यवहार करेगी कि जिस से इस का संचालन वास्तव में न्यूनाधिक एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में हो सके। अभिसमय बनते जायेंगे और अभिसमय यह होगा कि वह सरकार की आर्थिक नीति के अनुसार कार्य करेगा। परन्तु विस्तार की बातों में बिकुल स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करेगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार और आयोग में मतभेद होने का कोई अवसर नहीं आयेगा और मैं चाहता हूं कि उस का परामर्श सरकार के विनिश्चय के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा ।

मैं आशा करता हूं कि जैसे सम्पदा शुल्क विधेयक के पास होने के बाद राजस्व बोर्ड के सभापति या एक वरिष्ठ सदस्य ने उस के अधिक महत्व वाले उपबन्धों तथा जनता के कृत्यों और कर्तव्यों की व्याख्या करने के लिये एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की थी उसी प्रकार इस विधेयक के संबंध में भी एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की जायेगी । आवश्यकता इस बात की है गैर-सरकारी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करे और हमारे औद्योगिक विकास में किसी प्रकार की बाधा न डाले ।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड़-सोरठ): बहुत लम्बे वाद-विवाद के बाद हम इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं । यह विधेयक जो कि अब विधान बनने जा रहा है न केवल अपने आकार के कारण ही महत्वपूर्ण है वरन् इसलिये भी है कि हमारे और सामाजिक जीवन पर इस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा ।

विधि मनुष्य के सामाजिक संबंधों का प्रतिविम्ब ही तो होती है, इस लिये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ विधि में परिवर्तन होने चाहियें ।

समवाय विधि का अन्तिम बड़ा पुनरीक्षण १९३६ में हुआ था उस के बाद से विशेषत : युद्ध के बाद संसार में भारी परिवर्तन हुए हैं और भारत भी बहुत कुछ बदल गया है । यह विधान एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है जिस में सभी हितों के प्रतिनिधि थे और जिसे इस कारण किसी भी हित का पक्षपाती नहीं कहा जा सकता है ।

संयुक्त समिति ने इस विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं परन्तु चूंकि वे परिवर्तन नगण्य थे इसलिये वे स्वीकार कर लिये गये हैं ।

समवाय विधि के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं पहला अंशधारियों, विनियोजकों तथा जनता के हितों की रक्षा करना और संयुक्त स्कन्ध उपक्रम में उन का विश्वास बनाये रखना और दूसरा संयुक्त स्कन्ध उपक्रमों के ईमानदार, कुशल तथा स्वस्थ प्रशासन का उपबन्ध करना । मैं निवेदन करना चहता हूं कि यह विधेयक इन दोनों उद्देश्यों की अच्छी प्रकार पूर्ति करेगा और इन्हीं दोनों बातों का ध्यान करते हुए संयुक्त समिति तथा इस सभा ने इस विधेयक पर विचार किया है । इस के अतिरिक्त यह विधेयक इस देश की आर्थिक तथा समाजिक नीति के अनुकूल है । यह ठीक है कि समवाय विधेयक का आर्थिक नीति के निर्माण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है फिर भी इस में हमारी आर्थिक नीति का प्रतिविम्बित होना आवश्यंभावी है, इसलिये इस का रूप ऐसा होना चाहिये जिस से कि वह आर्थिक नीति और सुदृढ़ बन सके और उस का परिपालन किया जा सके । क्योंकि आखिरकार समवाय विधि की रूप रेखा के अनुसार ही गैर-सरकारी क्षेत्र को काम करना पड़ेगा ।

यह कहा गया है कि यह विधेयक बहुत ही कठोर तथा जलिट है और सरकार को बहु अधिक शक्तियां देता है जिस से देश के आर्थिक विकास में, पंजीनिर्माण में, तथा व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में बाधायें पड़ सकती हैं । बहस की गर्मा-गर्मी समाप्त होने के बाद जब हम इस विधेयक पर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि इस विधेयक की तथा कथित कठोरता और जटिलता का उद्देश्य देश विकास में बाधा पहुंचाना नहीं है वरन् इस के विपरीत उस विकास कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता

[श्री सी० सी० शाह]

पहुंचाना है। इस में कोई संदेह नहीं कि सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं वह बहुत हैं। परन्तु जो उद्देश्य हमारे सामने हैं उन को प्राप्त करने के लिये यदि और कोई सुझाव दिया गया होता तो हम उस पर विचार करते। इन परिस्थितियों में मेरी समझ में और कोई विकल्प था ही नहीं। मुझे सरकार पर पूरा विश्वास है और मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग बुद्धिमानी से किया जायेगा तथा समस्त समुदाय के हित के लिये किया जायेगा। वास्तव में इतने बड़े अधिकारों को लेना एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व को संभालना है और जब तक किसी को विश्वास न हो कि वह इन का ठीक से प्रयोग कर सकेगा कोई इन शक्तियों को लेने के लिये तैयार नहीं होगा। मुझे विश्वास है और वित्त मंत्री ने हमें विश्वास दिलाया है कि सरकार जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रही है उस के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। वास्तव में बात यह है कि अंशधारियों को जितना नियंत्रण रखना चाहिये था उतना वह रख नहीं पाते हैं इसी लिये सरकार को इन शक्तियों का दिया जाना आवश्यक है: भारत ही नहीं वरन् संसार के सभी देशों में अंशधारी इस काम को करने में असमर्थ हैं। श्री बंसल ने ठीक ही व्यापारी समुदाय से अपील की थी कि वह इस विधेयक के परिपालन में सरकार को अपना सहयोग प्रदान करे क्योंकि सहयोग के बिना कोई भी अधिनियम सफल नहीं हो सकता है। मुझे आशा है कि व्यापारी वर्ग भी अन्ततः इस से सहमत हो जायेगा।

मैं श्री एन० सी० चटर्जी के इस कथन से असहमत हूं कि सभा ने भाभा समिति की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। भाभा समिति की मुख्य सिफारिश एक केन्द्रीय प्राधिकार स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में थी और उस सिफारिश का इस विधेयक में पूरी तरह से पालन किया गया है। यह प्रश्न कि वह केन्द्रीय प्राधिकार किस प्रकार का हो, अर्थात् इंग्लैंड के बोर्ड आफ ट्रेड जैसा हो या सरकार का कोई विभाग हो या कोई स्वायत्त शासी तथा स्वतन्त्र संविहित निकाय हो, विवाद का विषय है और भाभा समिति ने ठीक ही कहा था कि दोनों ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है। यदि हम ने प्रयोगात्मक आय के रूप में इस को अपनाया है तो वह यह समझ कर अपनाया है कि यह एक नया प्रयोग है। हम केवल यही कर सकते हैं कि इस प्रयोग को व्यवहार में लायें क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति के साथ इस का इतना घनिष्ठ संबंध है और इसे एक स्वतन्त्र संवैधानिक प्राधिकार को सौंपना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस का सरकार की आर्थिक नीति तथा उस के परिपालन के साथ कोई संबंध नहीं।

मुझे संयुक्त समिति में माननीय वित्त मंत्री के साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे विश्वास है कि उन का ध्यान सब से अधिक राष्ट्रीय हित की ओर रहता था और उन उद्देश्यों का ध्यान रहता था जिन को हम ने अपना लक्ष्य बनाया था अर्थात् योजना और उस की कार्यान्विति, और मुझे प्रसन्नता है कि वह संयुक्त समिति में तथा सभा में दृढ़तापूर्वक अपने उद्देश्य पर डटे रहे हैं और अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं। उन के सहयोगी श्री एम० सी० शाह ने जितने अनथक परिश्रम से काम किया है उस की भी मैं प्रशंसा करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): मेरे विचार से यदि हम विधेयक को "वकीलों का एक स्वर्ग अधिनियम, १९५५" कहा जाय तो अधिक उत्तम है क्योंकि इस के द्वारा कितने ही नये अपराधों को जन्म दिया गया है। इन अपराधों के कारण जिन जुर्माने का उपबन्ध

गी है छोटे समवायों का अस्तित्व ही दुर्लभ हो जायगा क्योंकि उन के पास इतना धन नहीं होता है कि वे अच्छे वकीलों को कर सकें। इस प्रकार इस विधेयक के फलस्वरूप हमारे सारे उद्योग बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हो जायेंगे। और सभी छोटे उद्योग उन में ही समा जायेंगे।

इस विधेयक में परस्पर विरोधी हितों के मध्य एक प्रकार का राजीनामा कराने का प्रयत्न किया गया है। हमारे कुछ मित्रों का लक्ष्य समाजवादी प्रणाली की स्थापना है। श्री सी० डी० देशमुख और उन के साथी भी समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना चाहते हैं परन्तु उन का तरीका धीरे धीरे आगे बढ़ने का है जब कि विरोधियों का तरीका क्रान्तिकारी है। अपनी आर्थिक व्यवस्था के कुछ उपक्रमों के लिये हमें एक विशेष प्रणाली तैयार करनी है जिस मे विभिन्न विरोधी हितों का समन्वय: किया जा सके।

उदाहरण के लिये अंशधारी के हित को ही देखिये। वह कुछ पैसा बचाता है और किसी उपक्रम में नियोजित करता है और समझता है कि उस के बुढ़ापे के लिये यह एक प्रकार का बीमा या प्रत्याभूति है। कल्याण राज्य के होते हुए भी हमारे राज्य ने न तो बुढ़ापे के पेंशन की योजना बनाई है, न विधवाओं की सहायता की कोई योजना बनाई है और न कोई ऐसी योजना बनाई है जिस के अन्तर्गत अनाथों की देख भाल की जाये। इस लिये जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं, वे जो कुछ बचाते हैं उसे समवाय के अंशों में लगा देते हैं। देश की जनता विशेषत: निर्बल अंशधारी के अभिरक्षक की हैसियत से राज्य को इस समुदाय विशेष के हितों की रक्षा करनी चाहिये। यदि हम बुढ़ापे की पेंशन की योजनायें तैयार करें या विधवाओं को सहायता देने की योजनायें बनायें तो वे लोग जो इन योजनाओं में दिलचस्पी रखते हैं अपना बचाया हुआ पैसा सरकार के सिपुर्द कर देंगे

कहा जाता है कि इस देश में पूंजी का कोई सुसंगठित बाजार नहीं है और केवल प्रबन्ध अभिकर्ता ही पूंजी जमा करते हैं और व्यापार में लगाते हैं इसलिये प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का रहना आवश्यक है परन्तु यदि सरकार ऐसी कल्याणकारी योजनायें वास्तव में तैयार करे तो छोटे लोग सरकार में अधिक भरोसा करेंगे और सरकार स्वयं सब से बड़ा संगठित नियोजन अभिकरण बन जायेगी।

इस संबंध में महाराष्ट्र ने सब से अधिक नुकसान उठाया है। हमारे यहां कुछ समवाय हैं जो लोगों को विनियोजित करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं परन्तु उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकम में यदि मुझे कहने की आज्ञा दी जाये तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि विनियोजन की मांग करने वाले कौन कौन से समवाय आर्थिक रूप से स्वास्थ हैं जिस से कि विनियोजकों को हानि न उठानी पड़े।

अंशधारियों के बाद यदि किसी के हितो को प्रधानता मिलनी चाहिये तो वह मजूर हैं। वस्तुओं का उत्पादन पूंजी नहीं करती है वरण यह श्रम का चमत्कार है कि कच्ची सामग्री तैयार माल में बदल जाती है और उसी जादूगर को भूखा रखा जाता है। इसलिये न केवल विरोधी पक्ष वरण कांग्रेस बेंचों से भी आवाज उठाई गई थी कि प्रबन्ध में मजूरों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिये। बेकारी इस देश में बढ़ रही है। लोग ग्रामों से भाग भाग कर नगरों में आ रहे हैं। उन के कारण मजूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मजूरी तथा अन्य उपलब्धियों को घटाने के लिये पूंजीपति इस परिस्थिति से लाभ उठा सकते हैं। इसलिये सभी मजूरों को संगठित करना

[श्री एस० एस० मोरे]

चाहिये जिस से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और अपने हितों की स्वयं रक्षा कर सकें।

यहां प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में बड़ा वाद विवाद हुआ था। परन्तु मेरा कहना है कि यदि व्यापार की व्यवस्था करनी है तथा उद्योगों को चलाना है—और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र में ४२ उद्योग चलाये जा रहे हैं तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का होना आवश्यक है जो प्रबन्धक का काम कर सके। नाम उस का चाहे जो भी रखा जाये सरकार का उत्तरदायित्व यह है कि यह प्रबन्ध अभिकर्ता अनुचित लाभ न उठाने पावें। उन को नियंत्रण में रखने के लिये सरकार को उस व्यवस्था का उपयोग करना होगा जो इस विधेयक में बनाई जा रही है।

मैं श्री एन० सी० चटर्जी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि व्यापार पर नियंत्रण करने के लिये एक संविहित निकाय होना चाहिये। मैं तो सरकारी विभाग को यह उत्तरदायित्व सौंपे जाने के पक्ष में हूं। संविहित निकाय सारी शक्ति अपने हाथ में कर लेते हैं और उन पर हमारी आलोचना का कोई प्रभाव नहीं होता है। मैं यह जानता हूं कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पक्षपात और भाई भतीज्यवाद का बाजार गर्म है। इस लिये सरकारी विभागों को इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां देने में बहुत खतरा है। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि जैसे जैसे संसद् सदस्य अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक से अधिक जागरूक होते जायेंगे, सामान्य अंशधारियों में अपने अधिकारों तथा अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान और जागरूकता बढ़ती जायेगी, परिस्थिति में सुधार होने लगेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं हम ने आप को एक दानव जैसी जैसी भारी भारी शक्तियां दी हैं और हम आशा करते हैं कि एक दानव के समान ही आप इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन सब जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे जन को आप ने इन शक्तियों को स्वीकार कर के अपने ऊपर लेना स्वीकार किया है।

अनेक अवसरों पर श्री देशमुख ने हमें आश्वासन दिया है कि अपने विभाग में आने वाली बहुत सी बातों पर वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे। फिर भी वह तो मनुष्य ही हैं और मनुष्य के काम करने की भी एक हद होती है इसलिये यदि नीचे दर्जे के कर्मचारियों पर कुछ बातें छोड़ दी जायेंगी तो भ्रष्टाचार को घुसने का अवसर मिल जायेगा। प्रबन्ध अभिकर्ता कम से कम प्रबन्ध के इस पक्ष से परिचित हैं जिस से वे संगठित रूप से भ्रष्टाचार फैला सकते हैं।

मुझे खेद है कि इस विधेयक के प्रवर्तन से सरकारी समवायों को अलग रखा गया है। दूसरों पर नियंत्रण करने के पहले सरकार को स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिये था। जो कुछ वह उपदेश करती है उस पर उसे कार्य कर के दिखाना चाहिये था। सरकारी कर्मचारियों को इन नियंत्रणों की परिधि से बाहर रखने का तात्पर्य यह है कि सरकारी विभागों का वर्ग और है और उन का वर्ग और है जो व्यक्तिगत उद्योग व्यक्तिगत रूप से चलाते हैं। अगर सरकार मालिकों का जामा पहनना चाहती है तो वे सब नियम सरकार पर भी लागू होने चाहिये जो मालिकों पर लागू होते हैं। अगर सरकार देश का सब से बड़ा जमींदार होने जा रही है तो वे उन सब नियमों का नियंत्रण सरकार पर भी होना चाहिये जिस के द्वारा कि सरकार किसानों के रक्त पे पलने वाले, स्वार्थी और संकुचित दृष्टिकोण वाले जमींदार वर्ग को नष्ट करना चाहती है। यदि सरकार गैर-सरकारी समवायों क

नियंत्रण लेना चाहती है । तो उसे भी वही सिद्धान्त अपनाने चाहियें जिन्हें वह गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये हितकारी बताती है ।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं । सरकार को चाहिये कि प्रत्येक वर्ष वह सभा के सामने ऐसी कार्यवाही का ब्यौरा रखे जो कि उस ने इस समवाय विधि के बारे में की हो । मुझे इस से कोई विशेष रुचि नहीं कि इस सम्बन्ध में एक निश्चित खण्ड विधेयक में हो, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की एक रूढ़ि बनाये । इस समय मैं माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा नहीं कर सकता—हां श्री सी० सी० शाह, श्री मुरारका तथा श्री नथवानी ने इस विधेयक को लाभदायक बनाने का पूर्ण प्रयास किया है ।

जहां तक श्री देशमुख का प्रश्न है, वह तो बड़े परिमार्जित राजनीतिज्ञ हैं. . . . .

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : वह न जानते हुए भी एक राजनीतिज्ञ हैं । मेरी प्रार्थना यह है कि पहले हम इस विधेयक को लागू करके यह देखें कि इस के अधीन कैसा काम हो रहा है—इसी के बाद हम वित्त मंत्री की प्रशंसा कर सकते हैं ।

अभी तो यह विधेयक एक नये जूते के समान है—इसे जब पहन कर देख लिया जायेगा और जब यह मालूम हो जायेगा कि यह कहीं से नहीं काटता है तो हम यह कहेंगे कि वास्तव में श्री देशमुख ने एक ऐसा कार्य किया है जो देश के हित में था ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : समवाय विधेयक के प्रारम्भिक प्रक्रम में ही मैं ने भाग लिया था उस के बाद मुझे इस के निर्माण में भाग लेने का अवसर नहीं मिला । किन्तु हम अब इस की समाप्ति तक आ पहुंचे हैं ।

मैं चाहता हूं कि मैं माननीय वित्त मंत्री को इस के लिये बधाई दूं किन्तु मुझे खेद है कि मैं उन को मुक्त कंठ से बधाई नहीं दे सकता । यदि मेरे सामने इस विधेयक को स्वीकार करने या इसे छोड़ देने का प्रश्न आ जाये तो निस्सन्देह मैं इसे केवल इस कारण ही स्वीकार करूंगा कि इस में कुछ सहानुभूतिपूर्ण बातें हमारी अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में हैं । इस के बाद जिस तरीके से इस विधेयक को चलाया गया है उस से ज्ञात होता है कि तथाकथित समाजवादी ढांचे के विरुद्ध बड़े ही सफलतापूर्वक ढंग से कार्यवाही की जा रही है । मुझे याद है कि एक अवस्था पर माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि इस का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि समवाय के संवर्धन तथा प्रबन्ध में अच्छे व्यवहार का एक न्यूनतम स्तर तो बनाये रखा जाये । यह तो ठीक है, किन्तु इस से कुछ अधिक नहीं होता है । एक स्वागत योग्य समवाय विधि वह होती जिस से श्रमिकों की स्वतन्त्रता का युग आरम्भ हो जाता । आर्थिक विकास के प्रयोजन से बनाई गई समवाय विधि द्वारा भी लाभांश पर एक सीमा निर्धारित की जाती ताकि उस से पूंजी का निर्माण हो सकता । यह विधेयक पंचवर्षीय योजना के लिये लाभदायक नहीं है ।

इस विधेयक पर सरकारी दल में फूट पड़ जाने तक का अवसर आ गया था—किन्तु वित्त मंत्री सभी अग्रगामी विचारों को पछाड़ने में सफल रहे हैं और जैसा उन्होंने चाहा है वैसा हुआ है :

माननीय वित्त मंत्री ऐसा कोई कारण नहीं देखते कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का उत्पादन क्यों किया जाये । उन्हें मरते हुए पक्षी की परवाह

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

नहीं है—केवल परों का ध्यान है। स्वर्गीय श्री के० टी० शाह ने औद्योगिक वित्त पर राष्ट्रीय योजना समिति के प्रतिवेदन की भूमिका में कहा था कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली एक सड़ी बुसी चीज है और सब से प्रथम अवसर पर ही इसे समाप्त कर देना ठीक होगा। इस के बाद राज्य के निदेशक तत्वों का भी यही उद्देश्य है कि पूंजी का केन्द्रीयकरण कुछ थोड़े ही हाथों में न हो। १९३६ की विधान सभा की कार्यवाही को मैं ने देखा —उस समय कांग्रेस दल इस से कहीं आगे जाना चाहता था जितना कि उस की सरकार अब कर रही है। उस समय की सरकार ने इस प्रणाली को २० वर्ष की अवधि दिये जाने के लिये कहा था। मैं ने उस वाद विवाद में वर्तमान माननीय गृह मंत्री का अंशदान भी देखा। उस समय श्री होमी मोदी ने कहा था कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को एक अपराधी वर्ग कहा गया है अर्थात् "आप ने प्रबन्ध अभिकर्ता की आत्मा को भी नष्ट कर दिया है"। इस के बाद श्री नृपेन्द्र नाथ सरकार ने कहा था कि मैं समझता हूं कि प्रबन्ध अभिकर्ता के आत्मा तो होती नहीं है—किन्तु हम उस के शरीर के पीछे हैं। मेरे विचार में इस समय हमारे मित्र श्री तुलसी दास तथा श्री सोमानी कुछ घबराये हुए हैं—किन्तु उन्हें प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि समवाय विधि का संशोधन इस प्रकार से हो गया है कि उससे उन का अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि वह प्रसन्न रहें।

माननीय वित्त मंत्री अब इस पुराने सिद्धान्त को फिर दोहराते हैं। किन्तु यह बात सर्व विदित है कि इस देश के अधिकतर प्रबन्ध अभिकर्ता अंशधारियों के रुपये का मनमाना प्रयोग करते हैं। यदि उन की कार्यवाहियों में जांच की जाये तो मुझे विश्वास है कि बहुत सी बातें प्रकाश में आयेंगी—केवल २५ प्रतिशत पूंजी डालकर इन लोगों ने पूंजी बाजार को अत्यावश्यक विनिजनों से वंचित कर दिया है। जब वे आपस में गठबन्धन कर के लाभ की अधिकतम मात्रा हड़प कर जाते हैं तो यह कहना गलत है कि उन से प्रविधिक ज्ञान हमें मिलता है। प्रविधिक ज्ञान प्रबन्धकों तथा विशेषज्ञों से प्राप्त हैं। इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं से कोई लाभ नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री उन के सामर्थ्य तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहुत ही सावधान हैं। किन्तु वह उन के स्वास्थ्य के होते हुए भी उन्हें शीघ्र समाप्त भी कर सकते हैं। **न्यू-स्टेट्समैन एण्ड नेशन** में भी एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि हैजोवे जेल के चिकित्सा पदाधिकारी ने यह प्रमाणपत्र दिया था कि अमुक कैदी फांसी पर चढ़ाये जाने के लिये स्वस्थ था।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

श्रीमान् मैं समझता हूं कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त करने के लिये यह समय बहुत ही अच्छा है।

मैं यह देखता हूं कि सरकार ने इस प्रणाली के स्थान पर मंत्रियों तथा कोषाध्यक्षों की प्रणाली रखी है। श्री अशोक मेहता ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त बातें कही हैं। उन्हें किसी समवाय में रोका नहीं जा सकता और न ही उन के समझौते १५ अगस्त, १९६० को समाप्त ही होंगे। केवल मुआवजा कुछ कम होगा। वे निदेशक नियुक्त नहीं करेंगे और वे विक्रय अभिकर्ता भी नहीं हो सकते हैं।

किन्तु मैं समझता हूं कि सभा ने इस उपाय पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है और इस में कतिपय लाभदायक उपबन्ध भी किये गये हैं। अनुपाती मतदान अधिकारों

की समाप्ति, निधियों के गठबन्धनों पर रोक तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा क्रय तथा विक्रय किये जाने पर रोकें--ये सब ऐसी बातें हैं जिन का हम स्वागत कर सकते हैं। किन्तु केवल एक ही बात से, अर्थात् आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाने की बात को यहां रख लिया गया है--उसी से ये सारी बातें समाप्त हो जायेंगी ।

वित्त मंत्री ने स्वतः इस बात को स्वीकार किया है कि इन बेनामीदारों ने बहुत गड़बड़ी कर रखी है। बेनामी तरीके से इन तमाम प्रतिबन्धों को ये लोग समाप्त करना आरम्भ कर देंगे। यदि आप किसी भी ऐसे तरीके को चलने देंगे जोकि पूंजी के केन्द्रण का प्रतिनिधित्व करता है तो ये सारी खराबियां कभी भी समाप्त नहीं हो सकतीं। निस्सन्देह हमारा यह विचार नहीं है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के उत्पादन से पूंजी का केन्द्रण समाप्त हो जायेगा--क्योंकि वास्तव में यह केन्द्रण पूंजीवादी ढंग से ही होता है--किन्तु जब वास्तव में हमारा उद्देश्य समाजवादी ढांचे का निर्माण है तो कम से कम यह संकेत तो किया ही जाना चाहिये था कि इस प्रणाली को समाप्त कर के आगे भी केन्द्रण के अन्य तरीकों को भी रोका जायेगा।

यदि सरकार अपने उद्देश्य में तनिक भी गम्भीर होती तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से संशोधन स्वीकार किये जा सकते थे। कम से कम यह संशोधन ही स्वीकार कर लिया जाता कि निदेशकों के लिये न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की जायेंगी। जब सरकार यह कहती है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं की अभी आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को सिद्ध किया जाना चाहिये था। सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

इस समवाय विधि में निदेशालयों का सुधार अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि यह उपबन्ध है कि एक व्यक्ति २० से अधिक समवायों का निदेशक नहीं बन सकता है--किन्तु इस बात को समाप्त भी किया जा सकता है।

दूसरी कमी यह है कि निदेशक बोर्ड में अनुपाती प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इक्यावन प्रतिशत लोग जो चाहें वह करेंगे और शेष की कोई पूछ नहीं होगी।

इस के बाद इस विधेयक में कर अपवंचकों के लिये कोई अनर्हता का उपबन्ध नहीं किया गया है--सरकार इन से परिचित है--विनियोजक भला इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अभी सरकारी क्षेत्रों में आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में जो चालाकी की जाती है वह मैं आप को बताना चाहता हूं। उन का विचार है कि आप के अर्थ के बारे में तर्क बढ़ता ही जा रहा है और अब इस का अर्थ बड़े से बड़ा व्यापार किया जा रहा है। यदि एक लेखापाल, अर्थशास्त्री तथा एक न्यायाधीश से आय का अर्थ पूछा जाये तो आप के विचार स्वयंमेव इस समय की अपेक्षा और भी अस्पष्ट हो जायेंगे ।

इस के बाद फिर एक ब्रिटिश जज लार्ड क्लाइड का निर्णय है--"कि इस देश में कोई भी व्यक्ति नैतिक रूप से अथवा किसी अन्य प्रकार से इस बात के लिये बाधय नहीं है कि वह अपनी सम्पत्ति से अधिक से अधिक कर सरकारी निधि में दे।"

इसलिये एक स्वतन्त्र देश में कर अपवंचन प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। वह कर अपवंचन भी कर सकता है। कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट होता है कि इन लोगों द्वारा इस प्रकार के अपराध के जारी रखे जाने के लिये कतिपय अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति सेवायुक्त किये जाते हैं। कर अपवंचन करने वाले लोगों को सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने का अवसर दे रही है।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

सरकार एक बात कर सकती थी किन्तु सरकार ने वह बात नहीं की अर्थात् वह बोनस अंशों का उत्सादन कर सकती थी । यह जो तरीका है वह केवल सरकार को धोका देने तथा जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिये ही है ।

सरकार शाखा लेखापरीक्षा का उपबन्ध भी कर सकती थी । यदि शाखा लेखापरीक्षा प्रणाली आरम्भ नहीं की जाती है तो इस से बहुत खराबियां रह जाने की आशंका है । हमें बताया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं--यह बात मेरी समझ में नहीं आती । देश में जगह जगह कमर्शियल कालेज खुले हुए हैं । हमारे विचार के हमें बहुत से लोग इस कार्य के लिये मिल सकते हैं । देश में जगह जगह पर शिक्षित लोग बेकार बैठे हैं । इन सब को प्रविधिक पदाली में लिया जा सकता है किन्तु वास्तव में सरकार इस विचार से ही सहमत नहीं है ।

विदेशी समवायों के सम्बन्ध में हम ने यह संशोधन रखा था कि शिकायत किये जाने पर सरकार लेखा परीक्षकों को उन के मामले की जांच करने के लिये नियुक्त करे । किन्तु सरकार ने इस सुझाव को भी रद्द कर दिया है । मैं फिर भी यही कहूंगा । कलकत्ता में इम्पीरियल कैमिकल उद्योग ने अपने एक भवन के निर्माण पर एक करोड़ रुपया व्यय किया है और इसी प्रकार पांच लाख रुपये सभापति के कमरे को सजाने में लगाये हैं । मुझे यह भी पता है कि वह समवाय अपने कर्मचारियों से किस प्रकार का व्यवहार करता है । कानपुर में ऐसे बहुत से लोगों को निकाल दिया गया जिन्हों ने संघ में भाग लिया था--इसी प्रकार की बातें नित्यप्रति होती रहती हैं । विदेशी समवाय इसी प्रकार की बातें करते रहते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

इस विधेयक की दूसरी कमियां यह हैं कि प्रबन्ध अभिकरण को विभक्त करके ये लोग बहुत से समवायों का प्रबन्ध सम्हाल सकते हैं--यह कार्यवाही पटसन आदि के कारखानों में तो आरम्भ हो ही चुकी है । यहां भी समवाय अमेरिका की भांति विशाल रूप धारण कर सकते हैं--संख्या के बारे में ही सीमा है--पूंजी की मात्रा पर तो कोई सीमा नहीं है । गठबन्धनों तथा क्रय विक्रय अभिकरणों के बारे में मैं समझता हूं कि अभी उन को ठीक प्रकार से हल नहीं किया गया है । यह उपबन्ध कर दिया गया है कि एक संकल्प विशेष द्वारा अंशधारियों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने का अधिकार मिल सकता है । इस लिये यह एक उत्तम सुधार है । किन्तु यह भुला भी दिया गया है कि इन बातों से सरलता से बचा भी जा सकता है ।

मैं समझता हूं कि संभवतया श्री बंसल ने यह कहा था, यह विधेयक एक स्मरणीय विधेयक है--किन्तु यह स्मरण किस वस्तु का है ? मैं तो इस के सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं कि यह देश को समाजवादी ढंग पर ले जाने का कोई साधन नहीं है । मुझे खेद है कि मैं ऐसा कह रहा हूं । जब १९५५ में कांग्रेस हमारे सामने ऐसा विधेयक लाती है तो मुझे देश के समाजवादी ढांचे के सम्बन्ध में कांग्रेस के उद्देश्य के प्रति सन्देह उत्पन्न हो जाता है ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : सर्वोत्तम संसदीय परम्परा यही है कि तृतीय वाचन के समय व्याख्यान तथा भाषण संक्षिप्त हों--६९ घंटों के वाद-विवाद के बाद श्री देशमुख ने विजय प्राप्त की है और हम ने कुछ एक बातों

पर विजय प्राप्त की है। मैं समझता था कि सरकार को इस बात पर राजी कर लेना संभव होगा कि ऐसी समस्त बातों का उत्सादन कर दिया जायेगा जो कि हमारे निश्चित उद्देश्यों के विरुद्ध जाती हैं। किन्तु संभवतया सरकार किन्हीं कारणों के इस पर सहमत नहीं हुई है। फिर श्री देशमुख ने वचन दिया है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की देखभाल ठीक तरीके से की जायेगी। यदि जैसा कि उन्हों ने वचन दिया है, कार्यवाही इसी के अनुसार हुई तो मैं समझता हूं कि इस प्रणाली को कुछ समय तक हम सहन कर सकते हैं।

इस समय मैं इस प्रणाली के पहलुओं की ओर निर्देश नहीं करूंगा यद्यपि बहुत सी संस्थाओं ने मुझे लिखा है कि इस के उत्सादन के बारे में मैं संसद् में कहूं। किन्तु अब हम ने निर्णय कर लिया है कि इसे जारी रखा जाये क्योंकि धर्म शास्त्र में कहा गया है :

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् प्राज्ञ :

प्रबन्ध अभिकर्ताओं को धर्म का अनुसरण करना चाहिये। क्योंकि धर्म शास्त्र में लिखा है:

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् प्राज्ञः

वित्त मंत्री के शब्दों में उन के सर पर डेमोक्लीज की तलवार लटक रही है। पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि हमें इन पूंजीपतियों से अधिक आशा नहीं रखनी चाहिये।

इस के बाद वैकल्पिक प्रबन्ध के उपबन्ध का प्रश्न है—विचार प्रक्रम पर मैं ने कहा था कि हम इस चेतावनी को स्वीकार कर सकते हैं। किन्तु तृतीय वाचन के समय मैं और ही अवस्था में हूं। उन्हों ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के विषैले दांत निकाल दिये गये हैं किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि फिर भी देखभाल की आवश्यकता है कि कहीं उन के मसूढ़े इतने कठोर न हो जायें कि वे अधिक हड़प कर सकें। मैं प्रबन्ध अभिकर्ताओं से भी मिला हूं—उन का तो यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो—चाहे हमारा कमीशन कम कर दिया जाये—किन्तु हमें समवाय के प्रबन्ध में स्थान मिलना चाहिये—बस इस के बाद हमें कोई परवाह नहीं है वही हमारे लिये पर्याप्त है। वे ऐसे बहुत से मार्ग अपने लिये बना लेते हैं जिस से उन्हें लाभ भी पहुंचे और वह पकड़े भी न जा सकें। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि केवल प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर ही ध्यान न रखा जाये बल्कि मंत्रियों तथा कोषाध्यक्षों की कार्यवाहियों पर भी ध्यान रखा जाये।

अब वास्तव में हम इस विधेयक के अन्त पर आ पहुंचे हैं और थोड़े ही दिनों में यह विधेयक संविधि पुस्तक पर आ जायेगा। इस के बाद यह विधेयक इस सभा के नाम से संबद्ध हो जायगा। इसलिये हमें चाहिये कि हम सब इसे क्रियान्वित करने में सहयोग दें।

श्री देशमुख का दृष्टिकोण सुझावों को स्वीकार करने वाला रहा है और मैं समझता हूं कि यह सब देश के हित में हैं।

इस के बाद मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ भी हो चुका है वह समस्त रूप से बुरा नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस मामले में पूरी पूरी सहायता करे तथा अपना सहयोग सरकार को दे ताकि जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है यह विधेयक नीति का सफल साधन बन जाये।

यद्यपि हम ने इसे पारित करने का प्रण किया है, तथापि हम इस निर्णय से बंध नहीं गये हैं। इसे पारित करने से पूर्व इस के सम्बन्ध में जनता को समझाना होगा और इस विधान की सफलता वास्तव में जन-मत और जन-ज्ञान पर ही निर्भर करती है।

इसे पारित करने के उपरान्त हमें एक महान नये विभाग की स्थापना करनी है। इस का मुख्य उद्देश्य तो छोटे छोटे समवायों की

[श्री गाडगील]

सच्ची सहायता करना ही होना चाहिये । बड़े समवाय तो अपने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के द्वारा सभी कठिनाइयां दूर कर लेंगे, परन्तु छोटे समवायों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । अतः मैं चाहता हूं कि यह विभाग छोट समवायों की पूरी देखभाल करे और उन के हितों की रक्षा करे । हमारा यह अनुभव है कि आज तक जितने भी विधान बनाये गये हैं उनका अधिक भार तो छोटे समवायों पर ही पड़ा है और बड़े समवाय बच गये हैं ।

अतः मैं आशा करता हूं कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि यह सभी समवायों और विशेषकर छोटे समवायों के मार्ग में कोई बाधा न डाले ।

मैं श्री देशमुख को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्हों ने इतना विरोध होते हुए भी अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभाया है ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : संयुक्त समिति द्वारा इस विधेयक में पर्याप्त सुधार किये गये हैं, और इस सभा में हुए विचार विमर्श द्वारा और भी कई सुधार हुए हैं और इस में ऐसी अनानम्यता आ गई है जो कि भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी ।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस लिये अनुभव हुई कि बहुत से उद्योगपतियों और व्यापारियों ने ऐसा रूप धारण कर लिया था कि उस में सुधार किया जाना आवश्यक था । परन्तु इस के साथ ही हमें एक अन्य बात को भी ध्यान में रखना है ।

हो सकता है कि भूतकाल में कुछ एक समवाय प्रबन्धकों ने शरारतें की हों औरवे कई प्रकार की बुराइयों के दोषी रहे हों, परन्तु उन से भी बढ़ कर दोषी वे हैं जो बुरे मार्ग पर लगाते रहे हैं । मुझे विश्वास है कि यह विधेयक हर प्रकार की बुराई को दूर करने में सहायता करेगा । मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को उचित प्रकार से लागू किये जाने पर समवाय प्रबन्ध की पुरानी बहुत सी त्रुटियां और बुराइयां दूर हो जायेंगी । परन्तु इस विधेयक में समवाय प्रबन्ध से सम्बन्ध रखनेवाली अधिक गहन और महत्वपूर्ण बातें नहीं आई हैं । वित्त मंत्री महोदय तो इस विधेयक को केवल यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं, इसीलिये इस विधेयक के बारे में इतना मतभेद है ।

उदाहरणस्वरूप विधेयक में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिन का सम्बन्ध समवाय प्रबन्ध के समुचित कार्यकरण से है । परन्तु कई अन्य ऐसे उपबन्ध हैं जिन का सम्बन्ध समवाय के रचना-परिवर्तन से है । अब यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या रचना-परिवर्तन से सम्बन्ध रखने वाले इन उपबन्धों को प्रयुक्त भी किया जायेगा अथवा नहीं ।

श्री मुकर्जी का यह कथन है कि वह इस विधेयक से अधिक प्रसन्न नहीं है । परन्तु मैं ऐसा नहीं सोचता । मैं यह अनुभव करता हूं कि यह विधेयक हमें न ही केवल समवाय प्रबन्ध को सुधारने के लिये अपितु औद्योगिक अर्थ नीति में रचनात्मक परिवर्तन करने के लिये भी एक स्वर्ण अवसर प्रदना करता है । परन्तु मैं वित्त मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को एक और अवसर दिया जाये । मैं तो वास्तव में इस प्रणाली के ही विरुद्ध हूं । यह प्रणाली समाज के सामाजिक ढांचे के दृष्टिकोण से भी अत्यन्त हानिकारक है । अतः आज जब कि हम अपने देश में बड़े बड़े उद्योग चलाने के बारे में सोच रहे हैं, हमें इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से निर्णय कर लेना चाहिये कि भविष्य में कौन सी प्रणाली अपनाई जायेगी, क्योंकि उसी निर्णय पर ही तो हमारा भावी आर्थिक ढांचा निर्भर होगा ।

मैं बड़े व्यापारियों से यह अपील करता हूं कि वे समय की मांग को पहचानें। इस विधेयक के अधीन सरकार को बहुत से अधिकार दिये गये हैं, परन्तु यदि समवायों का कार्य अच्छी प्रकार से चलता रहे तो सरकार को उन अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा।

परन्तु कोई भी कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि उसे जनता का सहयोग प्राप्त न हो। मुझे पूर्ण आशा है कि इस कार्य को सारे समाज का समर्थन प्राप्त होगा।

कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धन का संचय बुरा है, परन्तु शक्ति का संचय और भी बुरा है। इसीलिये हमारे देश में यह अनुभव किया जा रहा है कि किसी भी सामाजिक कार्य में सरकार और जनता दोनों में पारस्परिक समझौता अवश्य होना चाहिये।

यदि इस प्रकार की विचारधारा को स्वीकार कर लिया गया, तो मेरा यह कथन है कि सरकार छोटे व्यापारियों की पूरी सहायता करे। मेरा सुझाव यह है कि सरकार द्वारा बनाया जाने वाला यह विभाग छोटे समवायों की वास्तव में सहायता करे, केवल नियंत्रण ही न करता रहे।

मैं श्री एस० एस० मोरे के इस कथन से सहमत हूं कि महाराष्ट्र को बम्बई राज्य के औद्योगिक विकास में भाग नहीं लेने दिया गया है। मैं चाहता हूं कि यह विभाग ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों की पूरी सहायता करे। यह विभाग उन की सहायता करे और गलती होने पर उन्हें ताड़ना भी दे।

इसके अतिरिक्त यह विभाग एक सचेत जनमत भी बनाये और इसके सम्बन्ध में लोगों को जानकारी भी दे। केवल वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यह विभाग पुस्तकों, पुस्तिकाओं और पत्र पत्रिकाओं द्वारा इसके सम्बन्ध में जनता को ज्ञान भी दे। यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि अंशधारी अपने दायित्वों को समझें। हमने उनको उनके उत्तरदायित्व से परिचित कराने के लिये किया ही क्या है? हमने उनको किस प्रकार की सहायता दी है?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कर्मचारियों को भी प्रबन्ध में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे कदाचारों तथा गड़बड़ी को कम किया जा सकेगा।

इस विधेयक के द्वारा सारी शक्ति सरकार के हाथों में ही केन्द्रित होगी। परन्तु सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि वह इस शक्ति का अनुचित लाभ न उठाये। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय समवायों के हितों की पूरी रक्षा करेंगे।

मुझे विश्वास है कि उनकी रक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि एक सचेत जनमत बनाया जाय, अंशधारियों की पूरी सहायता की जाये और कर्मचारियों को प्रबन्ध में भाग लेने के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जाये। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा गया तो यह विधेयक पर्याप्त सीमा तक एक आदर्श विधेयक होगा।

अन्त में, मैं भी वित्त मंत्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं कि उन्होंने इतना व्यापक और लाभकारी विधान प्रस्तुत किया है।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): मैं भी वित्त मंत्री महोदय के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं कि उन्होंने इतना परिश्रम कर के इतना सुन्दर विधान प्रस्तुत किया है।

मैं विधेयक के तृतीय वाचन के समय विवादास्पद बातों में उलझना नहीं चाहता। जो कुछ मुझे कहना था वह कई बार कहा जा चुका है। इस लिये इस विधेयक की विवादास्पद बातों में फिर से उलझने से कोई लाभ नहीं है।

[श्री जी० डी० सोमानी]

माननीय सदस्यों ने इस के सम्बन्ध में अपने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किये हैं। मैं इस समय इन उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। हम आज एक नये दौर से गुजर रहे हैं, हम एक नवभारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री को विश्वास दिलाता हूं कि इन बदलती हुई परिस्थितियों में यदि कोई वर्ग अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकता है तो वह व्यापारी वर्ग ही है। वे अपने आप को आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से परिवर्तित कर सकते हैं। इस लिये मैं विश्वास दिलाता हूं कि व्यापारी वर्ग इस बनते हुए नये भारत में देश के औद्योगीकरण में पूर्ण सहायता देगा। हम तो केवल कर्तव्य में ही विश्वास करते हैं, हमें फल की कोई इच्छा नहीं है। इसलिये मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आयें, हम भारत के नव निर्माण में पूरा पूरा योग देंगे। गीता के अनुसार हमारा सिद्धान्त है :

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

इसलिये मैं खंडों की उलझनों में फंसे बिना केवल कुछ एक सुझाव देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि सरकार मेरे इन सुझावों की ओर उचित ध्यान देगी। मैं ने इस के बारे में पहले भी निवेदन किया था कि बड़े बड़े उद्योग तो अपना कार्य सुचारु रूप से चलाते रहेंगे परन्तु छोटे छोटे उद्योगों का क्या बनेगा। हम तो उद्योगों का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, इसलिये हमें छोटे उद्योगों की रक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में पूरा पूरा ज्ञान देना होगा। श्री बंसल के समान मैं भी यह कहना चाहता हूं कि सरकार न ही केवल अंग्रेजी में अपितु हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी छोटी छोटी पुस्तिकायें प्रकाशित करे जिन में इस विधेयक से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों को सरल ढंग से समझाया गया हो। इस के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा अन्य प्रसिद्ध नगरों में ऐसे कर्मचारी नियुक्त हों जो कि इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का स्पष्टीकरण कर सकें। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस से सम्बन्ध रखने वाली प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये शीघ्र ही समुचित कार्यवाही करेगी।

विधेयक के विभिन्न दण्ड-खण्डों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई समवाय कोई बड़ी भारी गलती करता है तब तो उसे ऐसा दण्ड दिया जाये कि वह ऐसी गलती फिर न करे, परन्तु जहां तक छोटी छोटी गलतियों का सम्बंध है, सरकार को चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी त्रुटियां रह जाना तो एक स्वाभाविक बात है। यदि सरकार समवायों के नित्य प्रति के कार्यकरण में टांग अड़ाती रहेगी, तो कोई भी समवाय सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकेगा।

खंड १९७ के अधीन सरकार को कुछ एक उपयुक्त समवायों को छूट देने का अधिकार है। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकार किसी भी प्रकार से उन समवायों के मार्ग में रोड़ा नहीं अटकायेगी, जो कि उच्चतम प्राविधिक और प्रशासनिक निपुणता से अपना कार्य चला रहे हैं।

मैं प्रबन्ध अभिकरण सम्बन्धी खण्डों के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं। व्यापारी वर्ग पर इस अभिकरण प्रणाली के रहने अथवा समाप्त कर दिये जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यापारी वर्ग तो स्वयं ही इतना कुशल और निपुण है कि उस की उन्नति केवल किसी एक ही प्रणाली पर निर्भर नहीं करती है। अतः हमें इस प्रणाली के समाप्त होने की कोई चिन्ता नहीं है। परन्तु अब सोचना यह है कि ऐसी अन्य कौन सी प्रणाली है जिस के द्वारा

यह समस्त कार्य इतनी ही मितव्ययता से हो सके । यदि इस अभिकरण प्रणाली के हटाने से उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा तब तो वास्तव में हम इस प्रणाली को हटा कर देश का अहित कर रहे हैं। यदि सरकार विशेषज्ञ परामर्श लेने के बाद यह निश्चय करे कि उद्योग को कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है ।

हम ने इस संशोधन पर आग्रह किया था कि कोई अधिसूचना बिना एक सुयोजित तथा व्यापक जांच के जारी न की जाये और जब तक उसे संसद् का समर्थन न प्राप्त हो जाये उसे लागू न किया जाये । सरकार ने इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया है । परन्तु माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किये जाने से पूर्व उचित जांच की जायेगी ।

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह जांच किस प्रकार की होगी । उद्योग सैंकड़ों बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता है । जांच किसी भी प्रकार की हो उद्योग को अपनी विकास संभावनाओं, पुनर्संस्थापन कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण तथा पर्याप्त अंक और आंकड़े सरकार के समक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिये । मुझे आशा है कि ऐसी किसी अधिसूचना की जो प्रतिक्रिया राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर होगी उस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा और समवायों के सुचारु कार्यकरण में कोई बाधा नहीं डाली जायेगी ।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री के आश्वासन के परिणामस्वरूप व्यापक जांच की जायेगी । जहां तक प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का सम्बन्ध है मेरा भी यही विचार है कि इस प्रणाली के जारी रखे जाने का औचित्य सिद्ध करना स्वयं प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का ही कार्य है और यदि यह विश्वास हो जाये कि समवाय प्रबन्ध में कोई कदाचार नहीं होंगे तो इस प्रणाली की स्थिति और भी दृढ़ हो जायेगी ।

मेरा यह निवेदन है कि हमें अपनी नीति देश के औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने के आधार पर बनानी चाहिये । जब तक कि हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं होता है और देश के औद्योगिक कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जाता है मैं इस बात में कोई हानि नहीं देखता कि बड़े व्यापारिक साथों को इसे कार्यान्वित करने के लिये क्यों न कहा जाये । धन के केन्द्रीयकरण को समाप्त कर देना इतना सरल है कि सरकार जब चाहे इसे समाप्त कर सकती है। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता है कि बड़े व्यापारिक साथों को नये व्यापार क्षेत्र में न आने दिया जाये । इस देश की कम विकसित अवस्था को ध्यान में रखते हुये ऐसा करने से लाभ के स्थान पर हानि होने की ही अधिक संभावना है । सरकार को नियामक शक्तियां प्राप्त हैं । किसी नई परियोजना या व्यापार के प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उद्योग और वित्त मंत्रालयों की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । मेरा निवेदन यह है कि जब तक कि इस सभा को सरकार में विश्वास है ऐसा करने से देश को कोई हानि नहीं पहुंचेगी । प्रयत्न किये बिना तो देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो नहीं सकती है, इसलिये मैं योजना आयोग तथा सरकार का ध्यान कुछ माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिपादित नीति के घातक प्रभाव की ओर दिलाना चाहता हूं । ऐसी बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं का बन्द हो जाना देश के हित में नहीं है । इसलिये जहां तक केन्द्रीयकरण के समाप्त किये जाने का संबन्ध है वह हमारे देश के आर्थिक संसाधनों के विकास के आड़े नहीं आता है ।

सरकार ने किसी भी समवाय को अनुपाती प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने के लिये

[श्री जी० डी० सोमानी]

बाध्य करने का अधिकार लिया है। मेरा विचार है कि इस उपबन्ध से बहुत गड़बड़ी की जा सकती है। जहां तक समवाय के हितों का सम्बन्ध है विधेयक के विभिन्न खंडों में बहुत अधिक अधिकार पहले से ही दिये हुये हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि किन्हीं समवायों को अनुपाती प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने के लिये बाध्य कर सकने के अधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी और विवेकपूर्ण रीति से किया जाना चाहिये जिस से कि कहीं निदेशकों के पदों के लिये किये गय चुनाव राजनैतिक चुनाव के अखाड़े न बन जायें। इस से प्रति-पत्री संघर्ष को प्रोत्साहन मिलेगा और इस से लाभ होने के स्थान पर हानि ही अधिक होगी। मेरा यह निश्चित विचार है कि इस अनुपाती प्रतिनिधित्व से समवायों के सुचारु संचालन में बाधा पड़ेगी। गहरे मतभद होने के कारण निरन्तर झगड़े होते रहेंगे और समवाय को कार्य करना असंभव हो जायेगा।

मैं मंत्रणा आयोग की नियुक्ति का स्वागत करता हूं। मुझे यह जान कर प्रसन्नता होती है कि माननीय वित्त मंत्री ने उक्त आयोग मे व्यापारी वर्ग तथा श्रम के प्रतिनिधि रखने का विचार प्रकट किया है, पर निवृत्त व्यवसायियों के रखे जाने की बात मेरी समझ में नहीं आई है।

श्री तुलसी दास (मेहसाना): हम अनुसूची से आगे चल रहे हैं इसलिये यदि माननीय मंत्री सोमवार को अपना उत्तर दें तो अधिक उत्तम होगा।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : यदि सोमवार को यह चर्चा एक बजे तक समाप्त हो जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री तुलसी दास : जब इस प्रश्न पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी तो हम को आशा थी कि यह विधेयक सोमवार की शाम तक समाप्त हो जायेगा और इसी के आधार पर समय निश्चित किया गया था। हम अनुसूची से पांच घंटे आगे हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : तो समस्त कार्य सोमवार को २-३० म० प० तक समाप्त हो जायेगा।

श्री के० के० बसु : कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। यदि सोमवार को माननीय मंत्री ने दो घंटे का समय लिया तो दूसरे विधेयक को समाप्त नहीं किया जा सकेगा।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण आज पांच बजे तक समाप्त कर दें और मंत्री महोदय सोमवार को उत्तर देंगे। जहां तक भाषणों की समय-सीमा का सम्बन्ध है, मेरे विचार से दस मिनट की समय-सीमा पर्याप्त होगी।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : आपने मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार रखने का अवसर दिया, उस के लिये मैं आप का बहुत कृतज्ञ हूं। मैं इस विधेयक पर हुये प्रति दिन के वाद विवाद को ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि सभा के सामने इस विधेयक के समान अभी तक इतना बड़ा महत्वपूर्ण, पेचीदा तथा असाधारण कोई दूसरा विधयक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस के द्वारा सभा ने देश के सामने एक नये आर्थिक ढ़ांचे की घोषणा की है, और मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस गुरु भार को हमारे वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख और उन के साथियों ने बहुत योग्यतापूर्वक और सफलतापूर्वक सम्भाला है। यहां मेरा यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि यह उन का ही काम था कि इस विधेयक के सम्बन्ध में अनेक मतों के

होते हुये भी उन्होंने सब विचारों का समन्वय किया और सेलेक्ट कमेटी का लगभग एक मत प्राप्त किया ।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं ।]

मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा कार्य उन्हों ने किया है कि जिस के लिये संसद् के सभी दल और सारा देश उन को सराहेगा । ऐसे विधेयक की चर्चा हमारे देश में पिछले ९ वर्षों से होती रही है और इन पिछले दिनों में जो विधेयक सेलेक्ट कमेटी से पास हो कर हमारे बीच में आया है, वह असल में उन ख्यालों की पूर्ण रूप से पूर्ति ही नहीं करता बल्कि वह उन से बहुत काफी प्रगतिशील माना जायेगा । इस में जो संशोधन सेलेक्ट कमेटी ने किये, वह निस्सन्देह बहुत ही उपयोगी हैं, और यहां पर सभा के सामने भी जो कुछ संशोधन हुये हैं, उन से इस की रूपरेखा और भी सुन्दर बन गई है । मैंने सभा में बार बार अपने बहुत से साथियों से यह सुना है कि जो अधिकार सरकार ने अपने ऊपर लिये हैं, कम्पनी बिल को सही रूप देने के लिये या उसे चलाने के लिये, उन के प्रति बहुत सारी आशंकायें हमारे दोस्तों और हमारे भाइयों को हैं । मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि हमारी बदकिस्मती यह है कि जब कभी कोई विधेयक सरकार की ओर से आता है और उस के बीच में एक भावना रहती है कि देश में उन्नति हो, प्रगति हो, तो उस समय बहुत सारी आशंकायें हमारे देशवासी और हमारे भाई इस सभा में प्रकट करते हैं, परन्तु वह जड़ की ओर नहीं देखते । हम ने यह देखा है कि कम्पनियों के संचालन और मैनेजिंग एजेंटों के कामों से देश भर के अन्दर अनेक प्रकार की कुरीतियां देखने में आती हैं जिन के कारण इस विधेयक को इस रूप में लाना पड़ा और सरकार को ऐसे बहुत से अधिकार अपने हाथ में लेने पड़े जो उन कुरीतियों को दूर करने की मंशा अपने अन्दर रखते हैं । आज जो भी भाई यह कहते हैं कि सरकार अपने हाथ में अधिकार न ले, मैं उन से सिर्फ यही एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर वह जड़ को पकड़ लें, यानी उन कुरीतियों को स्वयं दूर कर डालें और अपने कार्यक्रम को इस प्रकार सुन्दर रीति से और सुयोग्यता से चलायें जिस में जनसाधारण का लाभ हो तो कोई भी विधेयक जो यहां सरकार सामने रक्खेगी, उस से कोई भी आशका उन को नहीं होगी । एक ओर तो वह कुरीतियों को अपनाते हैं और उन को बढ़ाते जाते हैं, और दूसरी ओर वह यह चाहते हैं कि सरकार ऐसे अधिकारों को अपने हाथ में न ले । अगर कुरीतियां न हों तो फिर सरकार को कोई अधिकार अगर मिल भी जाये तो उन का दुरुपयोग नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी कि जो कुरीतियों के न होते हुये भी किसी ऐसे विधेयक के द्वारा बड़े बड़े अधिकार अपने हाथ में लेने को तैयार हो । इसलिये मेरी प्रार्थना यही है कि आज जब कि यह इतना बड़ा महत्वशाली विधेयक हमारे देश के सामने रक्खा गया है और इससे हमने यह आशा की है कि जो कुरीतियां छोटी और बड़ी कम्पनियों के द्वारा या उनके संचालकों के द्वारा हमारे देश के सामने आती थीं, वह खत्म हो जायें या वह बहुत कम हो जायें, तो हमारे उन भाइयों को इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये जो कम्पनियों का संचालन करते हैं । अगर वह अपनी नीयत को साफ रख कर देश के हित में लगें, तो वह तमाम कुरीतियां आने ही नहीं पायेंगी और जो अधिकार आज गवर्नमेंट को लेने पड़े हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं होगा । मैं यह मानता हूं कि जब सरकार ऐसे अधिकार प्राप्त कर लेती है तो कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं और व्यक्तियों के लिये उन कठिनाइयों का सामना करना कठिन भी हो जाता है । लेकिन साथ-साथ मैं, यह भी कहूंगा कि इस की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कि

[श्री राधा रमण]

सरकार कोई विधेयक बनाती है और उस के मुकाबले में हमारे बहुत से भाई उस के अपवाद निकालने के लिये तैयार हो जाते हैं। कोई विधेयक बनता है तो बजाय इस के कि लोग अपने मन में इस विचार को रक्खें कि हम उस पर पूरी तौर से अमल करेंगे, उस में कोई बुराई नहीं निकालेंगे और नेकनियती से उस पर अमल करेंगे, वह करने यह लगते हैं कि जो भी विधेयक बने उस के अपवाद टटोलते हैं। जब भी ऐसा होता है तो दूसरे विधेयक की आवश्यकता पड़ जाती है और पहला विधेयक बेअसर हो जाता है। आज मैं उन भाइयों से यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान की वर्तमान स्थिति में इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने देश के आर्थिक ढांचे को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें।

हम ने यह तो मान लिया है, यह जानते हुये कि आज की परिस्थिति हमें यह इजाज़त नहीं देती कि हमारे देश में मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम फौरन खत्म हो जाये। देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये, हमारा यह निश्चय है कि इस विधेयक के आधार पर मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम होना चाहिये। हम ने यह भी कबूल कर लिया है कि आगे आने वाले जमाने में कुछ समय तक मैनेजिंग एजेंट्स के आय की सीमा रहे। परन्तु यह सब इसलिये है कि हमारे देशवासियों के ऐसे वर्ग को जिन का कम्पनियों से इस प्रकार का सम्बन्ध है, भारी हानि भी न हो और देश प्रगति की ओर तेजी से बढ़ता भी जाये।

एक बात मैं सभा के सदस्यों के सामने और रखना चाहता हूं। वह यह है कि सरकार पर चन्द बातों का आरोप लगाया गया है। मैं मान लेता हूं कि वे बहुत अंश तक सही हैं, लेकिन उन का बहुत बड़ा कारण हम से ही शुरू होता है। अगर हम उस कारण को दूर कर दें तो परिणाम अच्छा निकलेगा। इस में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। व्यापार में यह जो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, अगर वह ईमानदारी से और जिस तेज रफ्तार से सरकार आगे जाना चाहती है उस से उस में सहयोग दे तो उन के दिल में सरकार की ओर से जो यह शंका बन गई है कि सरकार मिले हुये अधिकारों का दुरुपयोग करेगी स्वयम् दूर हो जायेगी और उन को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

दूसरा सुझाव जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि मुझे एक बात शंकाप्रद मालूम होती है और मेरे कुछ अन्य मित्रों ने भी इस ओर संकेत किया है कि सरकार जो विधेयक बनाती है वह बड़े कारखानेदारों या ऊपर के वर्ग की समझ में ही आते हैं, और वह उन्हें किसी संकट में नहीं डालते क्योंकि उनके साधन असीमित होते हैं, परन्तु छोटे वर्गों और कारखानेदारों को अनेक कठिनाइयों में डालते हैं और इस प्रकार उन के सामने संकट उपस्थित करने वाले होते हैं। उन को बेहद मुसीबत उठानी पड़ती है और सरकार का ध्यान उस की तरफ उतना नहीं जाता जितना कि जाना चाहिये।

यह विधेयक पास हुआ, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जिस से हम अपने मुल्क का एक नया नक्शा बनाना चाहते हैं। इस में जितने बड़े बड़े संचालकगण हैं, मैनेजिंग एजेन्सियां या कारखानेदार हैं, उन को इस कानून के पालन करने में किसी भी तरह की कठिनाई होगी, ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसा पेचीदा विधेयक है कि इस के पालन करने में छोटे छोटे जो कारखानेदार हैं या मैनेजिंग एजेन्ट हैं, उन को बहुत कठिनाई हो सकती है। मेरे कुछ मित्रों ने इस के लिये सुझाव भी रक्खे हैं। मैं भी वित्त मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार के कुछ गुटके, प्रकाशन अथवा

लिटरेचर प्रकाशित करें और इस प्रकार की विज्ञप्तियां समय समय पर प्रकाशित करते रहें जिस से छोटे कारखाने वालों को और मैनेजिंग एजेंटों को सुझाव मिल जायें और उन्हें इस विधेयक के अनुसार कार्य-पालन करने में कम से कम कठिनाई हो । बल्कि जो भी मैशिनरी इस कानून को अमल कराने के लिये बने, उस को इस बात की खास हिदायत हो कि जो ऐसे छोटे-छोटे कारखानेदार या व्यापारी हैं उन की जितनी भी शिकायतें हों उन को जल्द से जल्द रफा किया करें और उन के सामने जितनी भी कठिनाइयां आयें उन को इस तरह से नहीं जिस तरह से कि सरकारी मुलाजिम जवाब दिया करते हैं, बल्कि बड़े हितचिन्तन के साथ, आराम के साथ समझाया जाये, ताकि तमाम कठिनाइयां दूर हो जायें और कोई शिकायत न आने पाये । यही हमारा मकसद है कि बड़े और छोटे व्यापारी, कारखानेदार मिल कर जो हमारे व्यापार की प्रवृत्तियां हैं उन्हें आगे बढ़ायें जिस से कि हमारे देश के आम लोगों की समस्यायें हल होती जायें और हमारा आर्थिक ढांचा बेहतर होता जाये, हमारे देश के अन्दर जल्द से जल्द खुशहाली आ जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वित्त-मंत्री जी को फिर एक बार हार्दिक बधाई देता हूं, इस विधेयक को यहां पर लाने के लिये और इस के द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर---मध्य) : बड़े गौरव की बात है, और यह कभी-कभी ही होता है, कि हम लोगों को श्री देशमुख सरीखे वित्त-मंत्री मिल गये हैं । यह केवल ऊपरी तौर पर कहने की बात नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से यहां पर आर्थिक ख्यालात पेश किये जाते हैं और उन को जिस प्रकार से सुलझाना चाहिये, यह वह बड़ी सुन्दरता से करते हैं, और वह इस के लिये बधाई के पात्र हैं । आज यह अवश्य है कि हमारी एक खास आइडियालोजी (विचारधारा) है, इसलिये भले ही हम उन की बात न मानें, परन्तु उस आइडियालोजी (विचारधारा) के रहते हुये भी वह जो कुछ करते हैं उस का श्रेय तो उन को मिलना ही चाहिये ।

हमारे मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने श्री के० टी० शाह का उदाहरण दिया कि उन्हों ने नेशनल प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट में लिखा था कि मैनेजिंग एजेंसी को एकदम खत्म कर दिया जाये, उस में जिस प्रकार की बुराइयां हैं उन को देखते हुये इस को एकदम खत्म कर दिया जाये । परन्तु हम को भी उन के साथ रहने का काफी मौका मिला है । वे बम्बई में रहते थे और बम्बई में उन को मैनेजिंग एजेंटों का साथ करने का बहुत अवसर मिला था, इसलिये वे उन की बुराइयों से कुपित हो गये थे । मैं ने उन से पूछा था कि आप को मैनेजिंग एजेंटों की बुराइयों से नफरत है, या मैनेजिंग एजेंटों से नफरत है । उन्हों ने कहा था कि नहीं, मुझे मैनेजिंग एजेंटों से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ जो उन की बुराइयां हैं उन को ही दूर कर दिया जाये तो कोई हर्ज नहीं, योग्य आदमियों को जरूर काम करना चाहिये और वह अच्छा फल भी दे सकते हैं । हमारे यहां एक कहावत है कि आम खाना उचित है, या पत्ते गिनना ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ---दक्षिण) : पेड़ गिनना ।

श्री झुनझुनवाला : या पेड़ गिनना उचित है । तो कुछ आदमियों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि वे केवल यह देखते हैं कि हम को आम कैसे खाने को मिलेगा । दोष उन का नहीं है, क्योंकि पेड़ तो यहां पर

[श्री झुनझुनवाला]

थोड़े से ही हैं। लेकिन, यदि उन्हीं पेड़ों से काफी आम पैदा करने की हमारे वित्त-मंत्री जी की चेष्टा है, और काफी आम पैदा भी होने लगें तो आम खाने वालों को क्यों उज्र होना चाहिये ? यह तो एक बड़ी विचित्र बात है कि लोग यह चाहते हैं कि पेड़ गिने जायें, वे आम नहीं खाना चाहते ; वह इस ओर दृष्टि नहीं करते कि उन को क्या फल मिलेगा।

हम लोगों के सामने जो बिल (विधेयक) आया है उस को यदि इस दृष्टि से देखा जाये कि हमारे यहां जो कुछ बुराइयां थीं वह दूर होंगी या नहीं, और जो हम चाहते हैं कि हमारे यहां प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़े, वह होगा या नहीं, हमारे देश की उन्नति होगी या नहीं, इस दृष्टि से जो भी आदमी इस बिल (विधेयक) को पढ़ेगा कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न (समाजवादी पद्धति) है वह इस बिल से आयेगी या नहीं, एक आदमी के पास बहुत धन रहने वाला है कि नहीं, एक आदमी के पास बहुत शक्ति, बहुत पावर रहने वाली है कि नहीं, तो उसकी समझ में आ जाना चाहिये। सोशलिस्टों की समझ में यह आ जाना चाहिये कि इस बिल (विधेयक) में जो चेष्टा की गई है वह यही है कि एक आदमी के पास अधिक पावर (शक्ति) न रहे, एक आदमी के पास अधिक धन नहीं रहे, मैनेजिंग एजेंट का जो कमीशन है उस के लिये भी एक हद मुकर्रर कर दी गई है और कह दिया गया है कि वह उस से आगे न बढ़े। अब कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, एक दम से कमीशन को कम कर दिया जाये, और उन्हें एक को मामूली मैनजर की हैसियत से रखा जाये, इस चीज को मैं ठीक नहीं समझता। हमारे वित्त मंत्री जी और हमारी सरकार की यह राय है कि हमारे एक काम को बहुत जल्दी से करने से, एक दमसे कम करने से वह काम नहीं चल सकता है आज हमारे भाई तुलसी दास जी को पांच मोटरें रखने की आदत है। आज उन की आदत है कि सुबह उन के पास एक मोटर आवे, दोपहर को दूसरी आवे, तीसरे पहर तीसरी आवे, और इसी तरह से चौथी और पांचवी आवें। जब तक ऐसा नहीं होता है, उन को अच्छा नहीं लगता। अब कहा गया है कि भाई पांच मोटरों से नहीं, एक मोटर से ही काम करो या दो मोटरों से ही काम करो, और हम समझते हैं कि इनसे आप का काम चल सकता है। लेकिन यदि हम कहें कि नहीं एक भी मोटर आप के पास नहीं रहने दी जायेगी, तो मेरे ख्याल में इन का काम चलना मुश्किल हो जायेगा। इसी तरह से, अगर तुलसी दास जी या पास सोमानी जी यह समझें कि नहीं हमारे पांच ही मोटरें रहनी चाहियें, और कम नहीं होनी चाहियें, तो ऐसा समझना भी उन के पार्ट पर (तई) एक गलती होगी।

सभापति महोदय : व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किये जाने चाहियें।

श्री झुनझुनवाला : मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि हम सब को इस बिल (विधेयक) को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि इस से हमारे देश की कितनी उन्नति होगी। हमारे जो सोशलिस्ट भाई हैं, या कम्युनिस्ट भाई हैं, या जो मैनेजिंग एजेंट हैं, उन सब को भी इस बिल (विधेयक) को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये। यदि हम सब इसी भावना से इसे देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस से देश की उन्नति हो सकती है। जो शेयरहोल्डर है वह यदि अपने ही दृष्टिकोण से देखेगा और जो मैनेजिंग एजेंट हैं वह भी अपने ही दृष्टि-कोण से देखेगा, तब तो कोई भी इस से खुश नहीं होगा। अगर इस बिल (विधेयक) को

सर्वसाधारण की भलाई को ध्यान में रख कर देखा जायेगा तो सब को मानना पड़ेगा कि इससे ज़रूर हमारी उन्नति होन वाली है ।

हमारे सोशलिस्ट भाई कंसेंट्रेशन ऑफ पावर (शक्ति के केन्द्रीयकरण) की बात करते हैं और कहते हैं कि कंसेंट्रेशन आफ पावर नहीं होनी चाहिये और मैनेजिंग अजैंसी का सिस्टम (पद्धति) खत्म हो जाना चाहिये । हमारे गाडगिल सहाब जो इस वक्त यहां नहीं हैं वह भी कहते कि इस सिस्टम (पद्धति) को खत्म कर दिया जाना चाहिये । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या जो असली चीज़ थी इनहैरिटेंस (उत्तराधिकार) की वह दूर कर दी गई है या नहीं और यह एक बहुत बड़ी बुराई थी और यही इस बिल (विधेयक) में आ गई है, और उस को खत्म कर दिया गया है । आज तक तो यह होता था कि जो लड़का होता था वह स्वत: ही गद्दी पर बैठ जाता था, लेकिन अब इस से पहले कि वह ऐसा करे गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़गी । इस के अलावा कितनी ही और भी एसी चीजें थीं जिन पर उन का अधिकार था और जिन को कि व लालच में आकर अपने फ़ायदे के लिये कर लेते थे । यदि आप देखें तो आप को पता लगेगा कि वह भी चीज़ें हटा दी गई हैं । हमारे जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भाई यह कहते हैं कि एक चीज़ को एक दम ही खत्म कर दिया जाये, एक दम नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाय, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह पालिसी (नीति) नहीं है । इस से तो के ऑस (अव्यवस्था) ही फैलेगा; हमारी सरकार की नीति तो यह है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों से कहा जाये कि वह अपने आप को बदल कर, अपनी आदतों को बदल कर काम करें और यदि उन्हों ने ऐसा किया तो हमें पूर्ण आशा है कि इस तरह से काम चल जायेगा ।

मैं इस बिल (विधेयक) का स्वागत करता हूं और जैसा कि मैं ने कहा कि हमारे वित्त-मंत्री जी के लिये यह एक बड़े ही गर्व की बात है कि उन्होंने इस बिल (विधेयक) को अपन समय में पेश किया और अब उस को पास करवाने जा रहे हैं ।

परन्तु मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि यह उन्हीं की हिम्मत थी कि उन्होंने इतनी जिम्मेदारी ली । अब वे बहुत भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर और सरकार के ऊपर ड़ालने जा रहे हैं । अब देखने वाली चीज़ यह है कि वे किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभायगे, किस तरह से कुरीतियों को दूर करेंगे और किस तरह से नेशनल एकानोमो (राष्ट्रीय बचत) को मजबूत करेंगे । इन सभी चोज़ों की पूर्ति के लिये मैनजिंग एजट्स ,इत्यादि पर जिम्मेदारी तो आती ही है और उन के लिये यह जरूरी भी है कि वह सरकार के साथ कोआप्रेट (सहयोग) करें, परन्तु हमारी सरकार के ऊपर और हमारे वित्त मंत्री जी के ऊपर भी इन बातों की पूर्ति के लिये बहुत भारी जिम्मेदारी आ जाती है, और मुझे आशा है कि वे इस को अच्छी तरह से निभायगे ।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा कहा जाता है न्याय में देर करने का अर्थ न्याय से वंचित करना है, यदि कोई भी ऐसा काम सरकार के सामने आये जिस में सरकार को, फैसला करना हो तो वह फैसला जल्दी से जल्दी कर देना चाहिये । यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह जो लोग आप के पास आते हैं वे तंग आ जाते हैं और समझने लगते हैं कि अच्छा ही यदि सरकार नहीं कह दे । इसलिये, मैं चाहता हूं कि जो भी फैसले करने हों वे जल्दी से जल्दी कर दिये जायें ।

[श्री झुनझुनवाला]

अब एक चीज, जिस का जिक्र हमारे बंसल साहब ने भी किया है, मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो बिल (विधेयक) है वह बहुत ही कम्लीकेटेड बिल (पैचीदा विधेयक) है। इस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन के बारे में अगर डिपार्टमेंट (विभाग) के आदमियों से पूछा जाये तो वे भी आप को उन का उत्तर जल्दी नहीं दे सकेंगे। इस के लिये एक छोटा सा पैम्फलेट साधारण भाषा में, जिस को कि एक मामूली आदमी भी समझ सके, जारी किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं वित्त मंत्री जी को और श्री सी० सी० शाह को धन्यवाद देता हूं और भाई गाडगिल साहब जी से कहता हूं कि उन्होंने जो यह बात कही है कि गवर्नमेंट रेसपांसिव (ध्यान नहीं देती) नहीं है, ठीक नहीं है। वह तो रेसपांसिव है (ध्यान देती है) परन्तु वह जांचना चाहती है सामने वालों को कि वह कहां तक एक बात को सोचता है कहां तक उस पर स्थिर रहता है। इसलिये, ऐसी बात नहीं हैकि गवर्नमेंट रेसपांसिव न हो (ध्यान न देती हो)।

श्री मूलचन्द दूबे (ज़िला फर्रुखाबाद–उत्तर) : मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने धैर्य से इस विधेयक का संचालन किया यद्यपि उन्होंने बड़ी होशियारी से अनेक संशोधनों को भी अस्वीकार किया है।

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के सम्बन्ध में इतना अधिक कहा गया कि अपराधियों को दण्ड न दे कर इस प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को ही समाप्त कर दिया जाये। परन्तु प्रश्न यह है कि इस विधेयक के द्वारा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की बुराइयों को रोकने में हम समर्थ हुए हैं अथवा नहीं ? विधेयक में यह अव्यवस्था है कि अंशधारियों को समवाय के प्रत्येक कार्य की सूचना मिलनी चाहिये। इसी कारण विधेयक इतना बड़ा भी हो गया है। जब जनता को सूचना मिलेगी तब जालसाजी आदि बुराइयां नहीं हो सकेंगी। इसीलिये मेरा विचार है कि विधेयक का कड़ा होना ही इस के अच्छा होने का प्रतीक है, तथा इस कारण से इस की आलोचना का कोई औचित्य नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति, को समाप्त करने से जो व्यक्ति इस विषय के विशेषज्ञ हैं वे बेकार हो जायेंगे। हमें केवल बुराइयों को दूर कर के उत्तरदायित्व इन अनुभवी व्यक्तियों पर ही डालना चाहिये। इस के अतिरिक्त हम ने इसी पद्धति के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतनी प्रगति की है तो उसे परिवर्तित करना ठीक नहीं है।

समवाय में अंशधारियों का अधिक भाग होता है परन्तु जब अपना हित नहीं देखते तो सरकार को देखना पड़ता है तथा उन का संरक्षण करना पड़ता है जिस से प्रबन्ध अभिकर्ताओं में बुराइयां न फैल

श्री राघवाचारी (पनुकोंडा) इस विधेयक की आलोचना केवल तीन अथवा चार तर्कों पर ही आधारित है तथा उन में, सब से महत्वपूर्ण प्रबन्ध अभिकरण पद्धति है। मेरा विचार है कि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति की आलोचना से हम ने अधिकतर पूंजीपतियों की ही आलोचना की है क्योंकि प्रबन्ध अभिकरणों का प्रबन्ध इन्हीं लोगों के हाथों में होता है।

मेरा अनुभव है कि पूंजीपति वाल्मीकी के कथनानुसार 'दर्शयन्ति शनैः शनैः' धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तथा अपन कार्यों को प्रस्तुत करते हैं।

आप केन्द्रीयकरण के विरोधी हैं तथा इसीलिये आप ने सभी अधिकार सरकार में

रखे हैं। भविष्य में देखेंगे कि आप इन अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करते हैं।

श्री सामानी ने कहा कि अधिकतर अंशधारी आरक्षित होते हैं तथा उन को भड़काया जाता है कि वे सरकारी सहायता मांगें। तथा उन के संरक्षण के लिये ही विधेयक में उपबन्धों की रचना की गई है। श्री अशोक मेहता ने भी कहा है कि अंशधारियों को शिक्षित करना चाहिये। इसलिये अब हमें आशा करनी चाहिये कि सरकार द्वारा अधिकार ले लेने से कुछ लाभप्रद परिणाम होंगे।

वित्त मंत्री को तो बहुत सी बधाइयां मिल चुकी हैं, इसलिये मैं उन के सहायकों को अर्थात् उन का पक्ष ले कर बोलने वाले माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्हों ने पूरे उत्साह के साथ सरकार का पक्षपादन किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आप उन सदस्यों की निन्दा नहीं बल्कि अनुसरण कीजिये।

श्री राघवाचारी : आप कहते हैं कि प्रबन्ध अभिकरणों पर रोक लगा कर आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु वास्तव में वही लोग मंत्री, निदेशक और कोषाध्यक्षों का रूप धारण कर वही काम करते रहेंगे। मैं चाहता हूं अब उन्हें उन की कुचालों से रोका जाये।

इस आलोचना को सुनकर कि इन समवायों द्वारा अंशदान की शक्तियों का दुरुपयोग होगा अतः ये नहीं दी जानी चाहियें, माननीय मंत्री अद्विग्न हो गये थे। उन्हों न सब सुझावों को स्वीकार कर दिया और एक संशोधन सभापति महोदय द्वारा अनियमित ठहरा दिया गया। पूंजीपति लोग धन कमाना और उस का मान करना जानते हैं। ३ प्रतिशत से ५ प्रतिशत और १०,००० रुपये से २५,००० रुपय हो गया है। परन्तु यह सारा धन कहां जाता है? हम और जनता इस बात की देखभाल करेंगे कि यह धन आखिर कहां जाता है। सरकारी और गैर सरकारी समवायों में विभेद किये जाने पर बड़ी चर्चा हुई है। वास्तव में पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा अन्य लोग भी मानते हैं कि यह विभेद की नीति बुरी है। संभव है कि मंत्रणा परिषद या प्राधिकार के प्रभाव के कारण इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक का गलत लाभ न उठा कर इसे देश के वास्तविक हितों के लिये प्रयोग में लाया जायेगा, अतः मैं इस का समर्थन करता हूं।

पंडित के० सी० शर्मा : १९१३ से ले कर १९५५ तक विश्व में, अनेक परिवर्तन हुए हैं और लोगों की धारणाओं और दृष्टिकोणों में भी भारी परिवर्तन हो गया है, इस दृष्टि से इस विधान में बहुत से महत्वपूर्ण और आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं, जिन के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। व्यापार प्रबन्ध और प्रबन्ध अभिकरणों के बारे में वंगपरम्परागत या उत्तराधिकार का सिद्धान्त सर्वथा अनुचित है। मुझे एकल संक्रमणीय-मत के सिद्धान्त में सर्वथा विश्वास रहा है और है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि एक मात्र जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति बड़े व्यापार का प्रबन्धक बन जाये। हां, उसे प्रतिकर अवश्य दिया जा सकता है। समूची विधि पर विचार करने से यह विधि व्यापार के इतिहास में एक प्रगतिशील परिवर्तन है। १९३६ से जो काम अधूरा पड़ा था, उसे पूरा करने का श्रेय वित्त मंत्री को प्राप्त हुआ है। यह अत्याधिक प्रसन्नता का अवसर है कि यह संविहित विधि पारित की जा रही है, जिस के बारे में कुछ लोगों को शंका थी।

बार बार यह कहा जा रहा है कि व्यापारी लोग लाभों से अपनी जेबें भरने के लिये कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे। परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे पूर्ण विश्वास

[पंडित के० सी० शर्मा]

है कि सामाजिक वातावरण और वायुमण्डल उन व्यापारियों को सामाजिक हित के लिये काम करने की एकमात्र अपने स्वार्थ की भावना को त्यागने की प्रेरणा देगा और परिणामस्वरूप हमारे उद्योगपति समाज के अन्य भागों की तरह ही ईमानदारी के साथ सामाजिक भलाई में जुट जायेंगे, और महान भविष्य का निर्माण करने में सहायक होंगे ।

श्री तुलसीदास : मैं भी इस विधेयक के संचालन के लिये वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । निगमित क्षेत्र के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिये और समवाय विधि की बुराइयों को हटाने का काम बहुत पेचीदा है । मैं समझता हूं, इस दृष्टि से हमें पूरी सफलता नहीं मिली है ।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस प्रणाली के कितने ही लाभों के होते हुए भी जनता में इस के प्रति अच्छी भावना नहीं है, इसलिये यह प्रणाली अधिक देर तक नहीं चल सकती । और यह जो विधि बनाई जा रही है वह इस प्रणाली को बहुत जल्दी समाप्त कर देगी ।

कोई भी निगमित समवाय बिना प्रणाली के अच्छी तरह नहीं चल सकता और हम देखते हैं कि इस प्रणाली का स्थान लेने के लिये और कोई नवीन प्रणाली नहीं बनाई गई है । यहां तक अभिकरण प्रणाली पर लगाई गई रोकों और प्रतिबन्धों से अन्य प्रणाली को भी मुक्त नहीं किया गया है । उदाहरण के लिये मंत्रियों और कोषाध्यक्षों पर भी ये प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । ऐसी अवस्था में किसी और प्रणाली के पनपने की संभावना नहीं है ।

हम ने इस देश के लिये प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है, फिर श्री मुखर्जी प्राकृति सदस्यों का सर्वाधिकारवादी राज्य का राग अलापना शोभा नहीं देता ।

हम चाहते हैं कि देश क उद्योगों का विकास हो, परन्तु वह तभी हो सकता है जब अधिकाधिक उपक्रम लोग क्षेत्र में उतरें । परन्तु इस विधेयक के द्वारा मजदूर लोगों की संख्या भले ही बढ़ जाये, किन्तु देश के धन और उत्पादन में और अधिक वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती । यह विधेयक अधिकाधिक लोगों को इस क्षेत्र में उतरने के लिये उत्साहित नहीं कर सकता ।

इस विधेयक से अल्प साधनों वाले लोगों को कोई अवसर नहीं मिलेगा, और जो लोग पहले से भरशक्ति उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें इस विधि से बचने के लिये उपाय सोचने को बाध्य होना पड़ेगा ।

अभी तक हमारा यह अनुभव हुआ है कि विधि के प्रशासन के मामले में अधिक सतर्कता नहीं रखी गई, यदि प्रशासन सबंधी सावधानी रखी जाती, तो निश्चय ही ये सब बुराइयां उत्पन्न नहीं हो सकतीं थीं । यदि अब भी प्रशासन कड़ा किया जाता, तो वे बुराइयां रुक सकती थीं ।

प्रशासन का यह हाल है कि वित्त मंत्री ने बताया है कि बोनस सम्बन्धी निर्णय किया बजा चुका है, परन्तु किसी को मालूम नहीं कि वह निर्णय क्या है । हालांकि करारोपण जांच आयोग ने इस मामले में अपना मत दे दिया है तो भी यह निश्चय नहीं हो पाया है कि क्या बोनस पर कर लगाया जायेगा या नहीं । ऐसी अनिश्चित अवस्था में कोई समवाय कैसे बोनस जारी कर सकता है ? फिर बोनस की मंजूरी देने का क्या लाभ है ? इस मामले को इतना लंबा समय हो गया है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है । मुझे यह भय है कि भविष्य में भी प्रशासन इसी प्रकार चलता रहेगा और निर्णय करने में विलम्ब होता रहेगा ।

बुरे प्रशासन में अच्छी विधियां भी बुरी हो जाया करती हैं। इसका पुराने अनुभव से अनुमान लगाया जा सकता है। मैं श्री मोरे की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस विधि के अधीन अल्प साधनों वाले लोगों को कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। मैं स्पष्टतः सरकार को बताना चाहता हूं कि इस विधि से कोई अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, बल्कि समवाय प्रशासन का नैतिक स्तर सुधारने की अपेक्षा और खराब होगा। इससे प्रगति के स्थान पर अवगति होगी।

मैं आशावादी हूं परन्तु मैं निर्भय हो कर अपनी आशंकायें प्रकट कर रहा हूं, जिन के लिये सरकार उत्तरदायी होगी, क्योंकि उन्हों ने समवायों के समस्त मामलों में अपना हाथ फंसा लिया है। सरकार विशेषज्ञ लोगों की सलाह की अवहेलना कर के इस के उपबन्धों के भयानक परिणाम को न जानते हुए अंधेरे में कूद पड़ी है।

मैं ने बहुत से उपयोगी सुझाव रखे थे। जिन में से एक भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिये समस्त विधेयक का विरोध करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहा है।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यद्यपि हमारे में से बहुत से सदस्य और समस्त कांग्रेस दल वाणिज्य और उद्योग के बारे में प्रबन्ध अभिकरण के विरुद्ध हैं, तो भी वित्त मंत्री ने कांग्रेस दल का विश्वास प्राप्त कर लिया है, इसलिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

एक ओर तो देश के औद्योगीकरण की योजनायें बनाई जा रही हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र ७५० करोड़ रुपये लगायेगा। उधर दूसरी ओर देश की जनता में धन के केन्द्रीकरण के विरुद्ध अधिकाधिक समाजीकरण की भावना फैल रही है।

ये दोनों विचारधारायें परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं, परन्तु हम आशा करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में इस महान काम को करने के लिये स्थापित किया नया विभाग सफल होगा और एक साथ ही दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

हम ने देश के वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के योग्य संचालन के लिये प्रत्येक संभव उपबन्ध किया है और सरकार को तथा नवीन विभाग को भी आवश्यक शक्तियां दे दी हैं। परन्तु हम ने समवायों के संचालन में अंशधारियों को उचित स्थान न दे कर गलती की है। यदि अंशधारियों को अनुपाततः प्रतिनिधान दे दिया जाता और मत देने के अधिकार में कमी कर दी जाती, तो निश्चय ही अंशधारी समवायों के आन्तरिक मामलों में अधिक दिलचस्पी लेकर प्रबंध की बुराइयों को सुधार सकते थे। परन्तु मेरे दिल में एक आशंका या भय है कि जब तक अंशधारियों को औद्योगिक प्रबन्ध के मामले में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार अंशधारियों को उन के उचित अधिकार नहीं देते, समवायों और उद्योगों के प्रबन्ध में आधिक सुधार नहीं हो सकता। इसलिये मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि वह ऐसा विभाग स्थापित करेगी जो यह देखे कि दोनों ही उद्देश्य साथ साथ पूरे हो जाते हैं।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : यह इस संसद् द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण विधि है। वित्त मंत्री के इस के संचालन में यथार्थवाद का दृष्टिकोण अपनाया है। संयुक्त समिति ने इस के सब पहलुओं पर खूब विचार किया है, और चर्चा के बाद भी इस में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। और हमें प्रसन्नता है कि इस रूप में यह विधेयक पारित किया जा रहा है।

[श्री अच्युतन]

कुछ लोग यह आलोचना करते हैं कि उचित उदेश्य या लक्ष्य संयुक्त समिति के सामने नहीं था। परन्तु यह ठीक नहीं है। निगमित क्षेत्र में औद्योगीकरण के उत्साहित करने तथा उस के विकास के लिये यह सर्वोत्तम उपक्रम है और इस के बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग समस्त देश में होने चाहियें। उन को कुछ अवसर दिये बिना पूंजी, योग्यता और उत्साह कहां से आयेगा ? हमें त्रुटियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें पूंजीपतियों और अंशधारियों से आशा रखनी चाहिये कि व अपने कर्तव्य को समझेंगे और देश की आवश्यकता के अनुसार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। हम ने उन्हें स्थायिता की ओर दिल लगा कर अपना काम करने की गारंटी दे रखी है। सीमित मर्यादाओं के अन्दर अपनी जेब भरना बुरा नहीं है, परन्तु यदि दूसरे लोगों के हितों की परवा न कर के अपनी जेबें भरते जायेंगे तो उन्हें रोकने के और कई उपाय हमारे पास हैं। इसलिये कहा जा सकता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं, मंत्रणा आयोग और अन्य मामलों के बारे में जो उपबन्ध किये गये हैं वे समाजवादी ढांचे के अनुरूप ही हैं। मैं यह चाहता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपति समय की मांग को अनुभव कर के अपने लिये ही नहीं, अपितु समस्त देश की भलाई की भावना से काम करें। मुझे आशा है यह विधि हमें आगे बढ़ायेगी।

श्री मुरारका : कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को दी गई शक्तियों के प्रयोग के बारे में आशंकायें प्रकट की हैं। सरकार इन शक्तियों का कैसे प्रयोग करेगी इस बारे में कई सदस्यों ने अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं। मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार इन समवायों के प्रशासन और विभिन्न मामलों के निपटारे के लिये एक पूरे सचिव के अधीन एक पूरा पृथक विभाग स्थापित करेगी। सब काम समय पर और ठीक ढंग से चलाया जा सके इस के लिये आवश्यक है कि इस विभाग में पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारी रखे जायें, चाहे खर्च कुछ भी करना पड़े, क्योंकि व्यापार में तनिक विलम्ब से भी समवायों का नाश हो सकता है।

सरकार को तीन शक्तियों का उपयोग बड़ी सावधानी से करना होगा। अल्प संख्यकों की रक्षा हेतु जांच तथा अनुपाततः प्रतिनिधान के आधार पर निदेशकों के पुनर्निर्वाचन आदि के लिये कई उपबन्ध किये गये हैं। मैं समझता हूं कि इस रूप में यह उपबन्ध समवायों के प्रबन्ध को सुधारने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और मुझे आशा है कि भण्डार विनिमय भी इस प्रणाली को अवश्य अपनायेंगे।

जांच सम्बन्धी व्यापक शक्तियों का उपयोग करने से पूर्व सरकार को निश्चय कर लेना चाहिये कि अमुक मामले में जांच की जानी अनिवार्य है, क्योंकि किसी समवाय की जांच का आदेश देने से उस समवाय की साख कुछ घट जाती है।

प्रबन्ध अभिकरण सम्बधी शक्तियों का प्रयोग इस प्रणाली को जारी रखने या समाप्त करने से संबंधित सरकार की आर्थिक नीति के अनुसार किया जा सकता है।

जिस सांख्यिकी और आंकड़ों पर सरकार समवाय के मामलों में निर्भर रह सकती है, वह संतोषजनक नहीं है। इस के लिये तो सरकार को इस विभाग में एक गवेषणा शाखा खोलनी चाहिये जो समवायों के सम्बन्ध में पूरी सांख्यिकी और आंकड़े एकत्रित करे, जिस पर भरोसा किया जाये। विश्वसनीय सांख्यिकी उपलब्ध न होने पर सरकार की नीति का

अच्छी तरह पालन नहीं किया जा सकता और न ही नीति सम्बन्धी निर्णय ही किये जा सकते हैं। इसलिये एक योग्य पदाधिकारी के अधीन सांख्यिकी संबंधी गवेषणा कार्य की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये ।

यह प्रसन्नता की बात है कि अंशधारियों के संघ के द्वारा व्यक्त की गई अंशधारियों की बहुत सी शिकायतों पर ध्यान दिया गया है ।

अन्त में मैं, इस विधेयक को बनाने और सभा में प्रस्तुत करने के लिये माननीय वित्त मंत्री और उन के कर्मचारियों की सराहना किये बिना नहीं रह सकता ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : प्रायः मैं वित्त मंत्री से सहमत नहीं हुआ करता, किन्तु इस विधेयक के संचालन के लिये मैं उन को बधाई देना चाहता हूं ।

मैं ने देखा है कि इस विधेयक का शेयर बाजार पर अधिक प्रभाव नहीं हुआ है, और इसे अत्यन्त कठोर विधेयक माना जाता है, इसलिये निश्चय ही शेयर बाजार में इस की बड़ी प्रतिक्रिया होगी । इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस से देश की औद्योगिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा ।

कहा जाता है कि क्योंकि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया है इसलिये समाजवाद नहीं आया है । परन्तु प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर देने मात्र से ही समाजवाद नहीं आ जाता । इतना अन्तर अवश्य पड़ता है कि धन का केन्द्रीकरण कुछ कम हो जाता है और प्रबन्धकों का पारिश्रमिक कुछ घट जाता है । इस दृष्टि से इस प्रणाली की समाप्ति से समाजवाद की ओर एक पग आगे बढ़ जाते हैं ।

इस विधेयक में सब लोगों ने बहुत रुचि प्रकट की है । संसार के अन्य भागों की अपेक्षा यहां औद्योगिक व्यवस्था पर अधिक खर्च होता है । यदि उस खर्च में कुछ कमी हो जाये तो उपभोक्ताओं और श्रमजीवी लोगों को कुछ लाभ पहुंच सकता है । इसी उद्देश्य से हम ने वित्त मंत्री को पर्याप्त शक्तियां दी है । मुझे आशा है कि इन शक्तियों का उपयोग किया जायेगा और धीरे धीरे औद्योगिक अवस्था का व्यय कम हो जायेगा । अतः इसी दृष्टिकोण से इस विधेयक को प्रशासित किया जाना चाहिये ।

श्री तुलसी दास ने किसी वैकल्पिक प्रणाली के न होने के कारण अव्यवस्था की आशंका प्रकट की है । मेरी धारणा है कि अच्छे प्रबन्ध को इन शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है । बुरे प्रबन्ध को इससे डर कर अधिक कर्मचारी रखने चाहिये, ताकि वह सरकार की पकड़ में न आ जाय । मैं समझता हूं कि जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उन के फलस्वरूप औद्योगिक व्यवस्था में कम पारिश्रमिक और उत्तम तथा शुद्ध प्रबन्ध हो जायेगा । यदि कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं रखेगा तो यह विधि उसे पकड़ेगी ।

मैं वित्त मंत्री के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रबन्ध अभिकरण को समाप्त करना है । हम ने दो उपबन्ध किये हैं एक यह कि कोई प्रबन्ध अभिकर्ता निश्चित संख्या से अधिक समवायों का प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं हो सकता और दूसरा यह कि नये समवायों में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली नहीं होगी । देश की जनता वित्त मंत्री से आशा रखती है कि इस प्रणाली को बदल दिया जाये इस के संशोधन मात्र को नहीं ? हम ने समाजवादी ढंग का समाज बनाने का निश्चय किया है । किन्तु जब तक सरकार इन शक्तियों का इस प्रकार उपयोग नहीं करती, हमारी प्रत्येक व्यवस्था के अन्तर को पूरा नहीं किया जा सकता, जिस का पूरा करना जरूरी है । यदि वित्त मंत्री और सरकार इसे सुधार के रूप में लेते हैं तो उन्हें समाजवादी ढांचा आने से पूर्व इस अन्तर को दूर करना चाहिये और तद-

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

नुसार कार्यवाहियां करनी चाहियें और यदि वह प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें यथोचित कार्यवाहियां करनी होंगी। मेरा यह मत है कि सस्ती और उत्तम व्यवस्था लाने के लिये हमें इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करना होगा।

वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। इसका कई बार उत्तर दिया जा चुका है कि निदेशकों के द्वारा प्रबन्ध चलाया जाना चाहिये, क्योंकि यह सस्ता है। हमारी वर्तमान प्रणाली तो अन्य देशों की प्रणालियों से कई गुना मंहगी है। यदि प्रबन्ध अभिकरण पद्धति समाप्त कर दी जाती है, तो उस के स्थान पर एकक पद्धति आरम्भ की जायेगी। मैं श्री तुलसीदास से सहमत हूं कि इस देश में निदेशक प्रबन्ध पद्धति होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री कम से कम उन उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को समाप्त कर देंगे जिन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर) : मैं मुबारकबाद देता हूं वित्त मंत्री को कि उन्होंने इस योग्यता से इस बिल (विधेयक) को आगे चलाया है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस बिल (विधेयक) से सब की पूरी सन्तुष्टि तो हो नहीं सकती थी। इसका कारण यह है कि हम में से कुछ तो यह चाहते थे कि मैनेजिंग एजेंटों से और जो कम्पनियों को चलाने वाले हैं उन से तमाम ताकत छीन ली जाये, और कुछ चाहते थे कि उन की तमाम ताकत कायम रहे इसलिये हरेक को यह शिकायत होना स्वाभाविक था कि जो वह चाहता था वह नहीं आ। लेकिन मैं समझता हूं कि वित्तमंत्री ने बड़ी योग्यता के साथ इन तमाम चीजों को निभाया है और आगे बढ़ाया और बीच का रास्ता अख्तियार किया है। यह स्वाभाविक है कि जब हम को अपने देश में आर्थिक सुधार करने हैं तो इस बीच का और समझौते का मार्ग ग्रहण करें और हर एक इंटरैस्ट (हित) का ख्याल रखें। मैं चाहता हूं कि इस बिल (विधेयक) के अन्दर गवर्नमेंट ने जो अधिकार लिये हैं उन का पूरी तरह से सदुपयोग हो और उनका इस तरह उपयोग हो कि हम समाजवादी ढांचे की तरफ बढ़ें हमारे मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द ने मैनेजिंग एजेंटों की तरफ से कहा कि वे चाहते हैं कि प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ें। यह ठीक है हम भी चाहते हैं कि प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़े। लेकिन, हम चाहते हैं कि केवल सम्पत्ति वालों के इंटरैस्ट (हितों) का ही ख्याल न रखा जाये बल्कि जो पैदावार बढ़ाते हैं उनका भी ध्यान रखा जाये, उन लोगों के इंटरैस्ट (हित) का ही ध्यान न रखा जाये जो महज धन एकत्र करते हैं बल्कि उनका भी ध्यान रखा जाये, जो उस धन को पैदा करते हैं। मुझे विश्वास है कि जो मैनेजिंग एजेंट या कम्पनी चलाने वाले उस धन को बढ़ाना चाहते हैं उनको इस बिल (विधेयक) के पास होने से कोई खतरा नहीं हो सकता। किन्तु जो लोग केवल रुपया एकत्र करना चाहते हैं और तरह-तरह से मैनीपुलेशन (जोड़तोड़) और मैन्युवरिंग (हेर फेर) कर के रुपया एकत्रित करते हैं, उनको इस से खतरा जरूर है। जो लोग सिर्फ मुनाफा कमाने के लिये काम करते हैं और जिन को मजदूरों के हितों का कोई ख्याल नहीं है उन को इस बिल (विधेयक) से खतरा है।

मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट निरन्तर इस बात का ख्याल रखे कि इस बिल (विधेयक) से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। आने वाले वर्षों में हम इस बिल (विधेयक) का तजुर्बा करेंगे और देखेंगे

कि यह हमारे आर्थिक ढांचे को किधर ले जाता है। मुझे गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही होगी उस के परिणामस्वरूप हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ेंगे ।

मुझे एक बात और कहनी है, और वह यह है कि जहां भी गवर्नमेंट अपना कोई काम चलाती है वहां उस काम पर पार्लियामेंट का खास तौर पर पूरा अधिकार रहे, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये । जिस कम्पनी में गवर्नमेंट का हिस्सा हो, उस पर पार्लियामेंट का पूरा अधिकार होना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि जहां गवर्नमेंट का पैसा लगे वहां पार्लियामेंट का अधिकार न हो। मुझे भरोसा है कि पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटियों ने इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें की हैं उन का ध्यान रखा जायेगा, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि जो भी कम्पनियां गवर्नमेंट के मातहत काम करती हैं उन पर पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल (नियंत्रण) होगा ।

इन शब्दों के साथ, सभानेत्री महोदया, जितना समय आपने मुझे दिया था, उतना ही समय लेते हुए मैं वित्त मंत्री को फिर मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस योग्यता से इस बिल (विधेयक) को आगे बढ़ाया है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५ से ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।